



पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2012-2013

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2012

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2012-13.

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2012-2013.

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 60 अनुदान और 2 विनियोग शामिल हैं। ₹ 32,119.50 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि ₹ 30,804.13 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि ₹ 1314.43 करोड़ है। इसके अलावा, 94 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है, जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए हैं जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2012-2013 includes 60 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 32,119.50 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 30,804.13 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/ Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 1314.43 crore. Besides, token provision of ₹ 94 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नगद व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नलिखित हैं:

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
प्रतिवर्तन आयोजना और वित्तीय पुनर्गठन आयोजना के भाग के रूप में एयर इंडिया में इक्विटी सम्मिश्रण हेतु।	For equity infusion in Air India as part of Turn Around Plan and Financial Re-structuring Plan.	2000.00	-	2,000.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 मंत्रिमंडल	53 Cabinet			
विशेष सुरक्षा दल संबंधी (क) अस्त्र एवं शस्त्र (20 करोड़ ₹) और (ख) मशीनरी और उपस्कर (30.13 करोड़ ₹) के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure under (a) Arms and Ammunition (₹ 20 crore) and (b) Machinery and Equipment (₹ 30.13 crore) in respect of Special Protection Group.	-	50.13	50.13
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64 विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायालय	64 Appropriation - Supreme Court of India			
भारत के उच्चतम न्यायालय में माननीय जजों और कर्मचारियों के वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting salary expenditure for Hon'ble Judges and Officials in the Supreme Court of India.	-	9.50	9.50
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
66 खान मंत्रालय	66 Ministry of Mines			
महासागरीय अनुसंधान पोत के अधिग्रहण हेतु किस्त के भुगतान के संबंध में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु।	For additional requirement of Geological Survey of India towards payment of instalment for acquisition of Ocean Going Research Vessel.	79.46	-	79.46
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
निम्नलिखित हेतु (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कम्पनियों को अनुमान से कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति (28500 करोड़ ₹), (ख) केरोसीन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नकद सब्सिडी के सीधे अंतरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन (10 करोड़ ₹)।	For (a) providing compensation (₹ 28500 crore) towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products, and (b) providing incentives to States/Union Territories for direct transfer of cash subsidy on Public Distribution System of Kerosene (₹ 10 crore).	-	28,500.00	28,500.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
76 विनियोग - राष्ट्रपति का स्टाफ, परिवार और भत्ते संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भत्ते। स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भत्ते।	76 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President For meeting additional establishment related expenditure.	-	0.96	0.96
77 लोक सभा स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भत्ते।	77 Lok Sabha For meeting additional establishment related expenditure.	-	38.40	38.40
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
92 इस्पात मंत्रालय मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड को उपस्कर दायित्वों के निपटान हेतु सहायता अनुदान (149.45 करोड़ ₹) हेतु।	92 Ministry of Steel For Grants-in-aid (₹ 149.45 crore) to M/s Bisra Stone Lime Company Limited to discharge Income Tax liabilities.	-	125.68	125.68
Total Cash Outgo		2,079.46	28,724.67	30,804.13
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹ 1314.43 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों को अतिरिक्त बचतों/वसूलियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी है। ये मदें इस प्रकार हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 1314.43 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदान मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
3 पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग न्यायालय की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु।	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries For expenditure arising out of court decrees.	0.71	-	0.71
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6. रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय (क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड़ ₹) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा देय ब्याज की माफी (2.50 करोड़ ₹) हेतु।	6 Ministry of Chemicals and Petrochemicals For (a) disbursal of ex-gratia (₹ 67.70 crore) to Bhopal Gas victims, and (b) waiver of interest (₹ 2.50 crore) payable by Hindustan Insecticides Limited.	-	2.50	2.50
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	10 Ministry of Coal For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited.	-	65.00	65.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा संचालित नकद प्रतिपूरक योजना के तहत न्यायालय डिक्री से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	11 Department of Commerce For meeting expenditure arising out of court decree under Cash Compensatory Scheme administered by Directorate General of Foreign Trade.	-	0.03	0.03

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) उच्चतम न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न 0.19 करोड़ ₹ और न्यायालय के आदेशों के तहत मजदूरी के भुगतान हेतु 0.35 करोड़ ₹ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure of ₹ 0.19 crore arising out of Supreme Court Orders and ₹ 0.35 crore for payment of wages under court orders.	-	0.54	0.54
(ख) थोडाकारा, पलक्कड, केरल में डाकघर के निर्माण पर भूमि अधिग्रहण हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अधीनस्थ जज (अपर) द्वारा दिए गए आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure arising out of the orders given by Subordinate Judge (Additional), Palakkad, Kerala for payment of compensation for land acquisition on construction of Post Office at Thottakara, Palakkad, Kerala.	0.03	-	0.03
14 दूर संचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दंड की वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु।	For payment of interest on the refund of penalty to the telecom service providers arising out of the judgement by Telecom Disputes Settlement & Appellate Tribunal.	-	87.65	87.65
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत प्रावधान के संवर्धन हेतु।	For augmentation of provision under Consumer Welfare Fund to be released to the State Governments for Consumer Welfare Programmes.	-	10.00	10.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
23 रक्षा मंत्रालय सेवाएं-नौसेना	23 Defence Services-Navy			
न्यायालय डिक्री से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure arising out of court decree.	-	7.00	7.00
24 रक्षा सेवाएं - वायुसेना	24 Defence Services - Air Force			
न्यायालय डिक्री से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure arising out of court decree.	-	3.00	3.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
भूटान की शाही सरकार को अतिरिक्त सुविधा (400 करोड़ ₹) प्रदान करने हेतु।	For extending Standby Credit Facility (₹ 400 crore) to Royal Government of Bhutan.	-	365.00	365.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
निम्नलिखित हेतु (क) स्थापना संबंधी व्यय (7.15 करोड़ ₹), (ख) 14वें वित्त आयोग आदि का कार्यालय किराए पर लेने के संबंध में किराया प्रभार (4.49 करोड़ ₹), (ग) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि को अंशदान (4 करोड़ ₹) और (घ) यमन सरकार को ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देय राशियों की माफी (2.07 करोड़ ₹), (ङ) निम्नलिखित को अनुदान संबंधी व्यय (1) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (15 करोड़ ₹); और (2) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, इटानगर (10 करोड़ ₹), (च) भारतीय एक्विजिमेंट बैंक को ब्याज समकरण सहायता (65 करोड़ ₹) और (छ) अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग संबंधी अतिरिक्त व्यय (11.65 करोड़ ₹)।	For (a) establishment related expenditure (₹ 7.15 crore), (b) rental charges (₹ 4.49 crore) in respect of hiring accommodation for 14th Finance Commission, etc (c) contribution (₹ 4 crore) to International Fund for Agricultural Development, (d) waiver of outstanding dues (₹ 2.07 crore) in respect of Line of Credit to Government of Yemen, (e) Grants related expenditure to (1) National Council for Applied Economic Research (₹ 15 crore), and (2) Rajiv Gandhi University, Department of Economics, Itanagar (₹ 10 crore), (f) Interest Equalisation Support (₹ 65 crore) to EXIM Bank of India, and			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	(g) additional expenditure (₹ 11.65 crore) towards Technical and Economic Cooperation with Other Countries.	-	118.35	118.35
42. प्रत्यक्ष कर आयकर विभाग के अतिरिक्त प्रतिष्ठान से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (257.84 करोड़ ₹)।	42 Direct Taxes For meeting additional establishment related expenditure (₹ 257.84 crore) of Income Tax Department.	-	230.32	230.32
43. अप्रत्यक्ष कर अतिरिक्त प्रतिष्ठान से संबंधित व्यय (क) कस्टम कार्यालय (17.65 करोड़ ₹), तथा (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय (78.30 करोड़ ₹)।	43 Indirect Taxes For meeting additional establishment related expenditure of (a) Custom Offices (₹ 17.65 crore), and (b) Central Excise Offices (₹ 78.30 crore).	-	53.90	53.90
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (क) "सरकारी महाविद्यालयों में यूजी/पीजी सीटों की काउंसलिंग" स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु (3.70 करोड़ ₹), (ख) चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत अनुदान से संबंधित व्यय हेतु (287.09 करोड़ ₹)।	46 Department of Health and Family Welfare For (a) additional expenditure (₹ 3.70 crore) under the scheme "Counseling for UG/PG seats in Government Colleges", (b) Grants related expenditure (₹ 287.09 crore) under Medical and Public Health.	-	3.70	3.70
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
54. पुलिस कोर्ट डिक्री में व्यय को पूरा करने हेतु।	54 Police For meeting expenditure in satisfaction of court decrees.	-	8.15	8.15
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59. उच्चतर शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा तथा सहायक सामग्री और उपकरण के अन्तर्गत व्यय से संबंधित अनुदान हेतु (104 करोड़ ₹) और 'कापीराइट बोर्ड' स्कीम के अन्तर्गत उपकरण, अन्य व्यय (1.20 करोड़ ₹)।	59 Department of Higher Education For Grants related expenditure (₹ 104 crore) under General Education and Aid Materials and Equipment and other expenditure (₹ 1.20 crore) under the scheme 'Copyright Board'.	-	104.00	104.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन के लिए अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	60 Ministry of Information and Broadcasting For Grants related expenditure for Indian Institute of Mass Communication.	4.70	-	4.70
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62. चुनाव आयोग इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन-मैनेजमेंट के लिए परिसर के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	62 Election Commission For meeting additional expenditure for construction of campus for India International Institute of Democracy and Election Management.	-	5.00	5.00
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
68. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय निम्नलिखित के लिए ऑफ-ग्रिड/वितरित विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत-सौर विद्युत के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (क) सौरक्रान्ति सिंचाई योजना के तहत बिहार के 6 जिलों के गाँवों में 560 सौर फोटोवोल्टीय जल पम्प प्रणाली का संस्थापन (₹ 3.56 करोड़) (ख) नाबार्ड के जरिए सौर	68 Ministry of New and Renewable Energy For Grants-in-aid General under Off-grid/distributed and decentralized renewable power - Solar Power for (a) to install 560 numbers of Solar Photovoltaic water pumping systems in the villages in 6 districts of Bihar under Saurkranti Sichai Yojana (₹ 3.56 crore),			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
फोटोवोल्टीय लाइट और कम क्षमता वाली सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली का संस्थापन (₹ 50 करोड़), (ग) पूरे भारत में विभिन्न डीजल की खपत वाले क्षेत्रों में 500 किलोवाट के आकार के सौर फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र का संस्थापन (₹ 49.50 करोड़) और (घ) जवारहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारतीय रेल के विभिन्न स्थलों में कुल 4 मेगावाट क्षमता के सौर फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र का संस्थापन (₹ 7.20 करोड़)।	(b) installation of Solar Photovoltaic lights and small capacity Solar Photovoltaic systems through NABARD (₹ 50 crore), (c) installation of Solar Photovoltaic power plants upto size of 500kWp in different diesel consuming sectors throughout India (₹ 49.50 crore), and (d) installation of Solar Photovoltaic power plants aggregating to 4 MWp capacity at different Indian Railway Locations under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (₹ 7.20 crore).	110.26	-	110.26
कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
72. कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय	72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
निम्नलिखित के लिए (क) कर्मचारी चयन आयोग की व्यावसायिक सेवाओं के साथ व्यय की पूर्ति (₹ 30 करोड़) (ख) ट्रेप मनी की वापसी (₹ 1 करोड़), और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति (₹ 0.87 करोड़)।	For (a) meeting expenditure (₹ 30 crore) under Professional Services of Staff Selection Commission, (b) refunding of trap money (₹ 1 crore), and (c) meeting establishment related expenditure (₹ 0.87 crore) of Central Vigilance Commission.	-	31.87	31.87
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on Major Works.	-	23.00	23.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93. कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
बेंगलुरु और जम्मू एवं कश्मीर में हस्तकला भवन के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure for construction of Building for Handicrafts Bhawan at Bengaluru and Jammu & Kashmir.	3.00	-	3.00
संघ शासित क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
96. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	96 Andaman and Nicobar Islands			
सूनामी प्रभावित किसान जिनकी भूमि डूब क्षेत्र में आ गई थी को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु ।	For meeting expenditure on payment of compensation to Tsunami affected farmers whose land had got submerged.	76.72	-	76.72
कुल तकनीकी	Total Technical	195.42	1,119.01	1,314.43
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का पूरक अनुदान प्रस्तावित है, जिसके मुकाबले निर्दिष्ट व्यय को राजस्व उपज पूंजी भाग में बचतों के पुनर्विनियोग से पूरा किया जाएगा, संगत अनुदान का जैसा भी मामला हो।	4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			

अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें

Token Supplementary Demands for grants

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

1. कृषि एवं सहकारिता विभाग

1 Department of Agriculture and Cooperation

(क) (i) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय

For (a) additional contribution under

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कृषि घटक कार्यान्वयन के अन्तर्गत अति अंशदान हेतु (₹ 235 करोड़), (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 55 करोड़), (iii) जनजाति उपयोजना (₹ 10 करोड़), (iv) आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (₹ 115 करोड़), तथा (ख) समेकित तिलहन/पाम ऑयल/दालों तथा मक्का विकास अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹ 100 करोड़)।	(i) Implementation of National Agricultural Component Plan for Scheduled Castes (₹ 235 crore), (ii) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 55 crore), (iii) Tribal Sub-Plan (₹ 10 crore), (iv) Modified National Agricultural Insurance Scheme (₹ 115 crore), and (b) additional Grants-in-aid General (₹ 100 crore) under Integrated Oilseeds/Oil palm/Pulses and Maize Development.	515.00	-	515.00
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान से संबंधित व्यय हेतु।	For Grants related expenditure under Agricultural Research and Education.	143.75	-	143.75
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7. उर्वरक मंत्रालय	7 Department of Fertilisers			
आयतित विनियंत्रित उर्वरक को सहायता उपलब्ध कराने हेतु।	For providing subsidy to imported decontrolled fertilisers.	-	3,000.00	3,000.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10. कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सतबिसिडी पर व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on subsidy under Tribal Sub-Plan for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	12.70	-	12.70
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) (i) लघु ग्रोवर विकास स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडियों के लिए (₹ 0.10 करोड़) (ii) टी बोर्ड के अन्तर्गत ई-नीलामी तथा सहबद्ध कार्यकलापों के समेत टी-अधिनियम के विनियामक प्रावधान को कार्यान्वित करने की स्कीम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़), (ख) सांख्यिकीय तथा सूचना सेवाओं और ई-गवर्नेंस की स्कीम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (2) निर्यात बंधु स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (3) कार्यालय आवासीय भवन हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (4) रबर बोर्ड के अन्तर्गत प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।	(a) For (i) subsidies (₹ 0.10 crore) under Small Growers Development Scheme, and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.10 crore) for the Scheme of Implementation of regulatory provision of Tea Act including e-auction and allied activities under Tea Board, (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards the scheme of Statistical and Information Services and e-Governance, (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards Niryat Bandhu Scheme, (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Office/Residential Buildings, (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Training/Capacity Building under Rubber Board.	0.24	-	0.24
(ख) (1) मुम्बई में कन्वेशन केन्द्र के लिए (i) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु (₹ 0.01 करोड़), (2) सामान्य सुविधा केन्द्र (₹ 0.01 करोड़), (3) जयपुर में कीमती पत्थर व्यवसाय (₹ 0.01 करोड़), (4) मुम्बई में कीमती पत्थर तथा जूलरी पार्क (₹ 0.01 करोड़)। (ii) जूलरी सेक्टर हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (iii) उपक्रम पूंजी स्कंध के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़), तथा (iv)	(b) For (i) Grants for creation of Capital Assets for (1) Convention Centre in Mumbai (₹ 0.01 crore), (2) Common Facility Centre (₹ 0.01 crore), (3) Gem Business in Jaipur (₹ 0.01 crore), (4) Gems and Jewellery Park in Mumbai (₹ 0.01 crore), (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for Jewellery Sector, (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Venture Capital Fund,			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
बायोसिमिलर/बायोइक्विवैलेंट अध्ययनों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)। रबर बोर्ड के अंतर्गत भवन।	and (iv) Grants-in-aid General for Biosimilar/Bioequivalent Studies (₹ 0.01 crore). Building under Rubber Board.	0.07	-	0.07
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) पूर्वोत्तर केंद्र में प्रतिबद्ध देयताओं के समाधान हेतु परिवहन सब्सिडी के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Transport Subsidy to settle the committed liability in North Eastern Region.	88.25	-	88.25
(ख) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (₹ 0.34 करोड़) तथा नेशनल सीमेंट काउंसिल को सीमेन्ट तथा बिल्डिंग सामग्री हेतु (₹ 1 करोड़)।	(b) For providing additional 'Grants-in-aid Salaries' to Central Manufacturing Technology Institute (₹ 0.34 crore) and National Council for Cement Council for Cement and Building Material (₹ 1 crore).	-	1.34	1.34
(ग) हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध देयताओं के निपटान हेतु (i) परिवहन सब्सिडी के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 7.16 करोड़) तथा (ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज (₹ 29.34 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure under (i) Transport Subsidy (₹ 7.16 crore) to settle the committed liability in Himachal Pradesh, and (ii) Package for Special Category States for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttrakhand (₹ 29.34 crore).	36.50	-	36.50
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
कम्प्यूटरों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards payment of Annual Maintenance Contracts of Computers.	-	23.00	23.00
14 दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
मेसर्स आईटीआई लि. को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ताकि वह अपने कार्मिकों के वेतन का भुगतान कर सके।	For providing financial support to M/s Indian Telephone Industries Limited for payment of salary to its employees.	-	130.00	130.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
प्याज की बिक्री और इस कारण नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन (₹ 0.44 करोड़) तथा नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया (₹ 0.08 करोड़) को हुए घाटे को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure against sale of onion and the losses thereof to National Co-operative Consumer's Federation (₹ 0.44 crore) and National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India (₹ 0.08 crore).	-	0.52	0.52
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) कला और संस्कृति के तहत अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	(a) For Grants related expenditure under Art and Culture.	37.52	28.54	66.06
(ख) (i) गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर (₹ 0.22 करोड़) की 150वीं जयंती समारोह तथा और (ii) स्वामी विवेकानंद (₹ 0.50 करोड़) के समारोह के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General towards celebration of 150th Birth Anniversary of (i) Gurudev Rabindranath Tagore (₹ 0.22 crore) and (ii) Swami Vivekananda (₹ 0.50 crore).	0.72	-	0.72
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20. रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को सामान्य	For providing Grants-in-aid General to			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	Institute for Defence Studies and Analyses.	-	6.99	6.99
27 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	27 Capital Outlay on Defence Services			
(क) भारी और मध्यम वाहन (₹ 101.50 करोड़) और (ख) पूर्वोत्तर परियोजनाओं (₹ 10 करोड़) के लिए व्यय हेतु।	For expenditure towards (a) 'Heavy & Medium Vehicles' (₹ 101.50 crore), and (b) 'North Eastern Projects' (₹ 10 crore).	-	111.50	111.50
भूविज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
29. भूविज्ञान मंत्रालय	29 Ministry of Earth Sciences			
(क) कार्यक्रम 'अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण विस्तार' के तहत मंत्रालय के मुख्य भवन संबंधी प्रमुख निर्माण कार्य का संविदापरक संदाय कराने के लिए।	(a) For making contractual payment for the major works related to Headquarters building of the Ministry under the programme 'Research Education and Training Outreach'.	5.00	-	5.00
(ख) कार्यक्रम 'वातावरण-प्रक्रिया और प्रतिरूपण सेवाओं' के तहत राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र के भवन निर्माण संबंधी प्रमुख निर्माण कार्य के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को संविदापरक संदाय करने के लिए।	(b) For making contractual payment to National Buildings Construction Corporation Limited for the major works related to National Centre for Medium Range Weather Forecasting building's construction under the programme 'Atmospheric Process and Modelling Services'.	7.00	-	7.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	30 Ministry of Environment and Forests			
(क) (i) (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (₹ 23 करोड़), (2) भारतीय वन्यजीव संस्थान (₹ 2 करोड़), को साधारण सहायता अनुदान और (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदानों (₹ 7 करोड़) के लिए।	(a) For (i) Grants-in-aid General to (1) Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) (₹ 23 crore), (2) Wildlife Institute of India (₹ 2 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets to ICFRE (₹ 7 crore).	32.00	-	32.00
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ व्यय बढ़ाने के लिए आईसीएफआरई को सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid General to ICFRE for augmentation of expenditure for the benefit of North Eastern Region.	1.50	-	1.50
(ग) (i) उत्कृष्टता केंद्रों (₹ 4 करोड़), (ii) गोविंद वल्लभ पंत हिमालयीन पर्यावरण और विकास संस्थान (₹ 2.50 करोड़), (iii) पर्यावरण प्राधिकरणों और पर्यावरण आयोग तथा न्यायाधिकरण की स्थापना (₹ 0.45 करोड़), (iv) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (₹ 3 करोड़), और (v) जैवविविधता संरक्षण (₹ 28.06 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid General to (i) Centres of Excellence (₹ 4 crore), (ii) Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 2.50 crore), (iii) Establishment of Environment Authorities and Environment Commission and Tribunal (₹ 0.45 crore), (iv) National Natural Resource Management System (₹ 3 crore), and (v) Bio-diversity Conservation (₹ 28.06 crore).	38.01	-	38.01
(घ) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के अधीन सवाई माधोपुर में क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के भवन-निर्माण के लिए पूंजी व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting capital expenditure towards construction of Building for Regional Museum of Natural History at Sawai Madhopur under National Museum of Natural History.	4.00	-	4.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
अतिविशिष्ट व्यक्ति की यात्रा के लिए एअर इंडिया को रखरखाव लागत के लिए अतिरिक्त निधियां देने हेतु।	For providing additional funds towards maintenance cost to Air India for VVIP travel.	-	73.73	73.73

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
(क) बजट मुद्रणालय की मशीनरी के क्रय पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on purchase of Machinery for Budget Press.	-	0.91	0.91
(ख) नवसृजित राष्ट्रीय वित्तधारक कंपनी लिमिटेड में इक्विटी निवेश हेतु।	(b) For equity investment in the newly created National Financial Holdings Company Limited.	-	1.00	1.00
(ग) (i) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अनुसंधान मूल्य का भुगतान (₹ 4005.43 करोड़); और (ii) अंतरराष्ट्रीय पुनःनिर्माण और विकास बैंक, एशियायी विकास बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक को भारत सरकार के अभिदान पर नकदी में (₹ 29.03 करोड़) विनिमय दर और प्रतिभूतियों (₹ 20.44 करोड़) में अंतर को पूरा करने के लिए।	(c) For (i) payment of Maintenance of Value (₹ 4005.43 crore) to International Monetary Fund (IMF), and (ii) meeting exchange rate variation in Cash (₹ 29.03 crore) and Securities (₹ 20.44 crore) on Government of India Subscription to International Bank for Reconstruction and Development, Asian Development Bank and African Development Bank.	-	4,054.90	4054.90
(घ) नई उधार व्यवस्था के तहत आईएमएफ को कर्ज प्रदान करने के लिए।	(d) For providing loans to IMF under New Arrangement to Borrow.	-	11,294.60	11,294.60
33 वित्तीय सेवा विभाग	33 Department of Financial Services			
(क) जनश्री बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित समाज सुरक्षा निधि में बढ़त के लिए।	(a) For augmenting the Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India Limited for Janashree Bima Yojana.	-	25.00	25.00
(ख) भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण कोष को निर्गत प्रतिभूतियों (₹ 300 करोड़) के मोचन हेतु और (ii) आवासन कर्जों पर ब्याज की आर्थिक सहायता के इमदादी भुगतान (₹ 100 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure (i) towards redemption of securities (₹ 300 crore) issued to Stressed Assets Stabilisation Fund, and (ii) on subsidy payment (₹ 100 crore) in respect of interest subvention on housing loans.	-	400.00	400.00
(ग) (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी (₹ 500 करोड़) के अभिदान और (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरणार्थ सरकारी शेयर हेतु अंशदान (₹ 335 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on (i) subscription to the Share Capital (₹ 500 crore) of the National Bank for Agriculture and Rural Development, and (ii) contribution (₹ 335 crore) towards Government's share for recapitalisation of Regional Rural Banks.	835.00	-	835.00
41 राजस्व विभाग	41 Department of Revenue			
(क) माल और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन के वाहन को सहायता अनुदान तथा 'अन्य राजकोषीय सेवाओं' के अधीन व्यय संबंधी अन्य अनुदानों के लिए।	(a) For Grants-in-aid to special purpose vehicle for Goods and Service Tax Network and other Grants related expenditure under 'Other Fiscal Services'.	-	12.08	12.08
(ख) 'अन्य उधारों' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय बढ़ाने के लिए।	(b) For augmenting additional expenditure under 'Other Industries'.	-	80.72	80.72
(ग) माल और सेवा कर नेटवर्क के विशेष प्रयोजन वाले वाहन की इक्विटी भागीदारी के लिए।	(c) For equity participation to special purpose vehicle for Goods and Service Tax Network.	-	2.45	2.45
42 प्रत्यक्ष कर	42 Direct Taxes			
सार्वजनिक निर्माण कार्य संबंधी पूंजी परिव्यय के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु	For additional expenditure under Capital Outlay on Public Works.	-	57.50	57.50
43 अप्रत्यक्ष कर	43 Indirect Taxes			
राष्ट्रीय सीमाशुल्क और स्वापक सामग्री अकादमी के लिए नए कार्यालयीन परिसर के निर्माणार्थ अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure for construction of a new office complex for National Academy of Customs Excise and Narcotics.	-	3.50	3.50

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
(क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्तरोन्नयन/संस्थापन/आधुनिकीकरण (₹ 50 करोड़) और (ii) मेगा फूड पार्कों के अवसंरचनात्मक विकास (₹ 2.50 करोड़) की योजना में अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing additional Grants-in-aid General to the scheme of (i) Technology Up gradation/Establishment/Modernisation of Food Processing Industries (₹ 50 crore), and (ii) Infrastructure Development for Mega Food Parks (₹ 2.50 crore).	52.50	-	52.50
(ख) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण (₹ 10 करोड़), और (ii) मेगा फूड पार्कों के लिए अवसंरचना विकास (₹ 2.38 करोड़) योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-aid General for the benefit of North Eastern Region to the scheme of (i) Technology Up gradation/Establishment/Modernisation of Food Processing Industries (₹ 10 crore), and (ii) Infrastructure Development for Mega Food Parks (₹ 2.38 crore).	12.38	-	12.38
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अधीन अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	(a) For Grants related expenditure under Medical and Public Health.	335.26	-	335.26
(ख) परिवार कल्याण के अंतर्गत अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	(b) For Grants related expenditure under Family Welfare.	13.22	72.59	85.81
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	(c) For Grants related expenditure for the benefit of North Eastern Region.	37.63	-	37.63
(घ) 'राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम' के अधीन संयुक्त राष्ट्र नवोन्मेष से सहायक सामग्री सहायता के लिए।	(d) For aid material assistance from United Nations Innovative under 'National T.B. Control Programme'.	-	16.50	16.50
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	48 Department of Health Research			
योजना स्मारक स्वास्थ्य और अनुसंधान केंद्र, भोपाल का व्यय पूरा करने के लिए भारतीय अयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	For Grants-in-aid-General to Indian Council of Medical Research, New Delhi for meeting expenditure of Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Bhopal.	-	13.00	13.00
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
50. भारी उद्योग विभाग	50 Department of Heavy Industry			
(क) मोटर और संबद्ध उद्योग विकास परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General to Development Council for Automobile and Allied Industry.	-	10.00	10.00
(ख) नेपा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु उसके 7% गैर संचयी अधिमान शेयर में निवेश हेतु।	(b) For investment in 7% non-cumulative preference share of NEPA towards implementation of their Voluntary Retirement Scheme.	60.00	-	60.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52. गृह मंत्रालय	52 Ministry of Home Affairs			
(क) (i) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹ 0.01 करोड़), (ii) अनुवाद प्रशिक्षण विस्तार योजना (₹ 0.01 करोड़) और (iii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद क्षमता विस्तार योजना (₹ 0.01 करोड़) के लिए प्रकाशन और (ख) केंद्रीय अनुवाद	For meeting expenditure under (a) Publication in respect of (i) Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore), (ii) Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore) and (iii) Scheme			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
ब्यूरो (₹ 0.02 करोड़) तथा (ii) अनुवाद प्रशिक्षण विस्तार योजना (₹ 0.01 करोड़) के लघु निर्माण कार्य के अधीन व्यय पूरा करने के लिए।	of Expansion of Translation Capacity in Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore) and (b) Minor Works in respect of (i) Central Translation Bureau (₹ 0.02 crore) and (ii) Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore).	-	0.06	0.06
54. पुलिस	54 Police			
(क) 'पुलिस' शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under the head 'Police'.	38.26	153.01	191.27
(ख) गोरखालैंड प्रदेश प्रशासन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants for creation of capital assets to Gorkhaland Territorial Administration.	-	65.00	65.00
(ग) नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid General to Narcotics Control Bureau.	-	0.40	0.40
(घ) 'पुलिस पूंजी परिव्यय' पर अतिरिक्त खर्च के लिए।	(d) For additional expenditure on 'Capital Outlay on Police'.	284.82	395.18	680.00
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
57. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	57 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) राजीव आवास योजना के अंतर्गत अल्प आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी कोष की स्थापना और (ख) 'राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन नीतियों में सहयोग' योजना के अंतर्गत सामान्य प्रावधान वाले सहायता अनुदान बढ़ाने के लिए सरकारी अंशदान (₹ 50 करोड़) हेतु।	For (a) Government contribution (₹ 50 crore) for establishment of Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing under Rajiv Awas Yojana and (b) augmentation Grants-in-aid General provisions (₹ 2.87 crore) under the scheme of 'Support to National Policies for Urban Poverty Eradication'.	52.87	-	52.87
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
58. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	58 Department of School Education and Literacy			
(क) सामान्य शिक्षा के अधीन अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants related expenditure under General Education.	230.17	-	230.17
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants related expenditure under North Eastern Areas.	90.11	-	90.11
59. उच्चतर शिक्षा विभाग	59 Department of Higher Education			
(क) सामान्य शिक्षा के अधीन अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants related expenditure under General Education.	42.00	-	42.00
(ख) तकनीकी शिक्षा के अधीन अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants related expenditure under Technical Education.	232.80	-	232.80
(ग) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार योजना के अधीन चालू क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त अपेक्षा पूरी करने संबंधी पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान हेतु।	(c) For Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement for ongoing activities under the scheme 'Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar'.	15.00	-	15.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) सूचना और प्रचार के तहत व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under Information and Publicity.	-	0.70	0.70
(ख) 'राष्ट्रीय मुद्रणालय केंद्र स्थापना' योजना के अधीन व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure under the scheme 'Setting up of National Press Centre'.	7.45	-	7.45

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	61 Ministry of Labour and Employment			
(क) श्रम और नियोजन के तहत अतिरिक्त व्यय के लिए।	(a) For additional expenditure under Labour and Employment.	0.35	17.94	18.29
(ख) बीड़ी कामगार हित कोष/स्वास्थ्य के अधीन व्यय हेतु।	(b) For expenditure under Beedi Workers Welfare Fund/Health.	0.01	-	0.01
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62. निर्वाचन आयोग	62 Election Commission			
अनुदान संबंधी व्यय आदि पूरा करने हेतु।	For meeting Grants related expenditure, etc.	-	4.11	4.11
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
65. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	65 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
'सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम समूह विभाग कार्यक्रम तथा संवृद्धि केंद्रों के अधीन सहायता अनुदान वेतन व्यय हेतु।	For Grants-in-aid Salary expenditure under 'MSME Cluster Development Programme and Growth Poles'.	0.65	-	0.65
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
66. खान मंत्रालय	66 Ministry of Mines			
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के व्यय में इजाफा हेतु।	For augmentation of expenditure of Geological Survey of India.	8.55	-	8.55
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82. ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
(क) (i) ग्रामीण प्रबंधन आनंद संस्थान को सहायता-अनुदान (₹ 25 करोड़) और (ख) बीपीएल सर्वेक्षण की अतिरिक्त अपेक्षा (₹ 100 करोड़) पूरी करने हेतु।	(a) For (i) Grants-in-aid to Institute of Rural Management Anand (₹ 25 crore), and (ii) meeting additional requirement for BPL Survey (₹ 100 crore).	125.00	-	125.00
(ख) (i) एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत परामर्श सेवाएं (₹ 0.60 करोड़), तथा (ii) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण तथा कौशल विकास; के व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 8.25 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) consultancy services under ADB assisted Projects (₹ 0.60 crore), and (ii) training and skill development under World Bank Assistant Projects (₹ 8.25 crore).	8.85	-	8.85
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	85 Department of Science and Technology			
(क) इन योजनाओं के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (1) अन्य देशों के साथ एस व टी सहयोग (₹ 2.00 करोड़), (2) इण्डो-जर्मन साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी सेन्टर (₹ 3 करोड़), (3) इण्डो-यूएस साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी फोरम (₹ 0.30 करोड़) तथा (ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) एस एण्ड टी उद्यमशीलता विकास (₹ 1.55 करोड़), (2) अनुसंधान तथा विकास सहायता (₹ 9.70 करोड़), (3) नेशनल मिशन आन नैनो साइन्स एण्ड नैनो टेक्नोलोजी (₹ 16 करोड़)।	For (a) Grants-in-aid General under the scheme of (1) S&T Cooperation with Other Countries (₹ 2 crore), (2) Indo-German Science & Technology Centre (₹ 3 crore), (3) Indo-US Science & Technology Forum (₹ 0.30 crore), and (b) Grants for creation of capital assets under the scheme of (1) S&T Entrepreneurship Development (₹ 1.55 crore), (2) R&D Support (₹ 9.70 crore), (3) National Mission on Nano Science & Nano Technology (₹ 16 crore).	32.55	-	32.55
नौवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
88. नौवहन मंत्रालय	88 Ministry of Shipping			
मुख्य रूप से भारतीय पारगमन ट्रेफिक की	For meeting expenditure on Grants-in-aid			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रोटोकॉल अंतर्देशीय जल मार्गों के रखरखाव हेतु बांग्लादेश सरकार को सामान्य अनुदान पर हुए व्यय को पूरा करने हेतु।	General to the Government of Bangladesh for maintenance of the protocol inland waterway routes by the Government of Bangladesh for catering primarily to Indian transit traffic.	-	5.60	5.60
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	89 Ministry of Social Justice and Empowerment			
अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों हेतु होस्टलों की योजना हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों को बढ़ाना।	For augmenting Grants for creation of capital assets to the Central Universities in the scheme of Boys and Girls Hostels for Other Backward Classes.	6.00	-	6.00
अन्तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
90. अन्तरिक्ष विभाग	90 Department of Space			
इनके लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (क) इनसेट-3डी लांच सर्विसिस (₹ 249.25 करोड़) तथा (ख) जीसेट-7 लांच सर्विसिस (₹ 340.80 करोड़)।	For meeting additional expenditure for (a) INSAT-3D Launch Services (₹ 249.25 crore), and (b) GSAT-7 Launch Services (₹ 340.80 crore).	590.05	-	590.05
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
दो राज्यों में छठी आर्थिक जनगणना करने नामतः (क) आन्ध्र प्रदेश ₹ 48 करोड़, तथा (ख) ओडिशा ₹ 24 करोड़।	For meeting expenditure towards conducting Sixth Economic Census in two States viz., (a) Andhra Pradesh (₹ 48 crore), and (b) Odisha (₹ 24 crore).	72.00	-	72.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93. कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
(क) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के वेतन प्रावधान हेतु अनुदान को बढ़ाने हेतु,	(a) For augmenting Grants-in-aid Salary provision to Central Silk Board.	-	17.17	17.17
(ख) उद्योगों हेतु प्रावधानों को बढ़ाने हेतु।	(b) For augmenting provisions under Industries.	22.19	0.91	23.10
विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेश	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURES)			
97. चण्डीगढ़	97 Chandigarh			
(क) उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.	10.80	-	10.80
(ख) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(b) For revenue expenditure under Ministry of Home Affairs.	10.00	-	10.00
(ग) पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(c) For revenue expenditure under Ministry of Tourism.	2.00	-	2.00
(घ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(d) For Capital Expenditure under Ministry of Environment and Forests.	34.50	-	34.50
(ङ) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(e) For Capital Expenditure under Ministry of Health and Family Welfare.	6.83	-	6.83
(च) गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(f) For Capital Expenditure under Ministry of Home Affairs.	10.50	-	10.50
(छ) उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(g) For Capital Expenditure under Department of Higher Education.	0.69	-	0.69
(ज) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(h) For Capital Expenditure under Ministry of Labour and Employment.	0.19	-	0.19

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(झ) शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(i) For Capital Expenditure under Ministry of Urban Development.	1.86	-	1.86
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101. शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
इन योजनाओं में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान को बढ़ाना। (क) सीवरेज प्रणाली का विकास/सुधार ₹ 2 करोड़, तथा (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी अवसंरचना विकास परियोजना ₹ 2 करोड़।	For augmenting Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets in the schemes of (a) Development/Improvement of Sewerage System (₹ 2 crore), and (b) Urban Infrastructure Development Project (₹ 2 crore) in North Eastern Region.	4.00	-	4.00
102. सार्वजनिक निर्माण	102 Public Works			
राज्य सभा के मुख्य निर्माण कार्य पर व्यय।	For expenditure on major works of Rajya Sabha.	-	1.00	1.00
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
104. जल संसाधन मंत्रालय	104 Ministry of Water Resources			
केन्द्रीय जल तथा बिजली अनुसंधान स्टेशन के अंतर्गत परामर्शदाताओं के वेतन हेतु व्यय (₹ 0.018 करोड़)।	For payment of remuneration (₹ 0.018 crore) to Consultants under Central Water and Power Research Station.	-	0.01	0.01
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय	105 Ministry of Women and Child Development			
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure under Social Security and Welfare.	36.57	5.61	42.18
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
106. युवा मामले और खेल मंत्रालय	106 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) विकलांगों में खेलों को बढ़ावा देने हेतु योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹ 2 करोड़ तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्रादेशिक केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान हेतु ₹ 0.40 करोड़।	(a) For (i) Grants-in-aid-General under the scheme promotion of Sports amongst disable (₹ 2 crore) and (ii) Grants-in-aid-Salaries to regional centres under National Service Scheme (₹ 0.40 crore).	2.40	-	2.40
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid Salaries to Regional Centres under National Service Schemes.	-	0.10	0.10
(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राज्य संपर्क अधिकारियों को वेतन अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid Salaries to State Liaison Officers under National Service Scheme.	-	1.00	1.00
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.54	0.40	0.94
5. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल ₹ 251,73,34,000 करोड़ के छः अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	5. Six advances aggregating ₹ 251,73,34,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	2,275.42	29,844.08	32,119.50
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	2,079.46	28,724.67	30,804.13
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	195.42	1,119.01	1,314.43
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.54	0.40	0.94

विषय सूची
CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE						
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.01	...	0.01	1
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01	2
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	भारित	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Charged	0.71	...	0.71	3
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS						
6.	रसायन और पेट्रोसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	2.50	...	2.50	4
7.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	0.01	...	0.01	5
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	...	2000.00	2000.00	6
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL						
10.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	0.01	65.00	65.01	7
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11.	वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	11. Department of Commerce	Charged Voted	0.03 0.02	...	0.03 0.02	8-9
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.03	...	0.03	10
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
13.	डाक विभाग	भारित स्वीकृत	13. Department of Posts	Charged Voted	0.54 0.01	0.03 ...	0.57 0.01	11
14.	दूरसंचार विभाग	भारित स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Charged Voted	87.65 0.01	...	87.65 0.01	12
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16. Department of Consumer Affairs	Voted	10.01	...	10.01	13
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.03	...	0.03	14-15
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE						
20.	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	20. Ministry of Defence	Voted	0.01	...	0.01	16
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	भारित	23. Defence Services - Navy	Charged	7.00	...	7.00	17
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	भारित	24. Defence Services - Air Force	Charged	3.00	...	3.00	18
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	27. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	19

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)						
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES						
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of Earth Sciences	Voted	...	0.02	0.02	20
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS						
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of Environment and Forests	Voted	0.03	0.01	0.04	21
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS						
31.	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	365.00	365.01	22
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE						
32.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. Department of Economic Affairs	Voted	118.35	0.04	118.39	23-24
33.	वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33. Department of Financial Services	Voted	0.02	0.01	0.03	25
41.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	0.02	0.01	0.03	26
42.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	42. Direct Taxes	Voted	230.32	0.01	230.33	27
43.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Indirect Taxes	Voted	53.90	0.01	53.91	28
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES						
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02	...	0.02	29
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE						
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	3.75	...	3.75	30-32
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health Research	Voted	0.01	...	0.01	33
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES						
50.	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	50. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	0.01	0.02	34
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
52.	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	52. Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	...	0.01	35
53.	मंत्रिमंडल	स्वीकृत	53. Cabinet	Voted	20.00	30.13	50.13	36
54.	पुलिस	भारित स्वीकृत	54. Police	Charged	8.15	...	8.15	37-38
				Voted	0.04	0.02	0.06	
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION						
57.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	57. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.01	...	0.01	39
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT						
58.	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	58. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02	40
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	59. Department of Higher Education	Voted	104.03	...	104.03	41-42
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
60.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	4.71	0.01	4.72	43

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)						
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02	0.01	0.03	44
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
62.	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	62. Election Commission	Voted	0.01	5.00	5.01	45
64.	विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	64. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	9.50	...	9.50	46
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
65.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.01	...	0.01	47
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES						
66.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Mines	Voted	0.01	79.46	79.47	48
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
68.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	110.26	...	110.26	49
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारित स्वीकृत	72. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	1.87	...	1.87	50
				Voted	30.00	...	30.00	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	28500.00	...	28500.00	51
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT						
76.	विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृद्ध, आवास और भत्ते	भारित	76. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President	Charged	0.96	...	0.96	52
77.	लोक सभा	स्वीकृत	77. Lok Sabha	Voted	38.40	...	38.40	53
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
81.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	भारित	81. Ministry of Road Transport and Highways	Charged	...	23.00	23.00	54
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
82.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	82. Department of Rural Development	Voted	0.02	...	0.02	55
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	56

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
नौवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING				
88.	नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत 88. Ministry of Shipping	Voted 0.01	...	0.01	57
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT				
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत 89. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted 0.01	...	0.01	58
अन्तरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE				
90.	अन्तरिक्ष विभाग	स्वीकृत 90. Department of Space	Voted ...	0.01	0.01	59
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION				
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत 91. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted 0.01	...	0.01	60
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL				
92.	इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत 92. Ministry of Steel	Voted 125.68	...	125.68	61
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES				
93.	कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत 93. Ministry of Textiles	Voted 0.03	3.00	3.03	62
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)				
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत 96. Andaman and Nicobar Islands	Voted 76.72	...	76.72	63
97.	चंडीगढ़	स्वीकृत 97. Chandigarh	Voted 0.03	0.06	0.09	64-65
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT				
101.	शहरी विकास विभाग	स्वीकृत 101. Department of Urban Development	Voted 0.01	...	0.01	66
102.	लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत 102. Public Works	Voted ...	0.01	0.01	67
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES				
104.	जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत 104. Ministry of Water Resources	Voted 0.01	...	0.01	68
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT				
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत 105. Ministry of Women and Child Development	Voted 0.02	...	0.02	69
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS				
106.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत 106. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted 0.03	...	0.03	70
कुल जोड़		GRAND TOTAL				
			29548.63	2570.87	32119.50	
			Charged 119.41	23.03	142.44	
			Voted 29429.22	2547.84	31977.06	
अनुबंध		ANNEXURE				
						71

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	20466.77	63.45	20530.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20466.78	63.45	20530.23
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i.) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन (₹ 235 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (₹ 55 करोड़) तथा जनजातीय उप योजना (₹ 10 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अंशदान।
- (ii.) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनआईएस) के अंतर्गत अतिरिक्त अंशदान (₹ 115 करोड़)।
- (iii.) समेकित तेलबीज/ऑयलपाम/दालों तथा मक्का विकास के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (i.) additional contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) (₹ 235 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 55 Crore) and Tribal Sub Plan (₹ 10 Crore) under the scheme Implementation of National Agricultural Insurance Schemes.
- (ii.) additional contribution under Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS) (₹ 115 crore).
- (iii.) additional Grants-in-Aid General (₹ 100 crore) under Integrated Oilseeds/Oilpalm/Pulses and Maize Development.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5392.00	...	5392.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5392.01	...	5392.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- | | |
|--|---|
| (i) केरल पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पुकोड, केरल को सामान्य सहायतानुदान (₹ 0.78 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 20.40 करोड़) | (i) Grants-in-aid General (₹ 0.78 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20.40 crore) to Kerala Veterinary & Animal Sciences University, Pookode, Kerala. |
| (ii) आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद आंध्र प्रदेश को सामान्य सहायतानुदान (₹ 0.05 करोड़) तथा (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 36.55 करोड़) | (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.05 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 36.55 crore) to Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Hyderabad, Andhra Pradesh. |
| (iii) चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार हरियाणा को सामान्य सहायतानुदान (₹ 0.30 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4 करोड़) | (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4 crore) to Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hissar, Haryana. |
| (iv) केरल कृषि विश्वविद्यालय, थिस्सूर, केरल को सामान्य सहायतानुदान (₹ 5.38 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 44.41 करोड़) | (iv) Grants-in-aid General (₹ 5.38 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 44.41 crore) to Kerala Agricultural University, Thrissur, Kerala. |
| (v) ओडीशा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा को सामान्य सहायतानुदान (₹ 1.38 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 17.49 करोड़) | (v) Grants-in-aid General (₹ 1.38 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 17.49 crore) to Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar, Odisha. |
| (vi) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड, कर्नाटक को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.96 करोड़), तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 11.05 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। | (vi) Grants-in-aid General (₹ 1.96 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 11.05 crore) to University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2338.57	22.80	2361.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.71	...	0.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2339.28	22.80	2362.08
	भारित:	Charged: 0.71	...	0.71
	स्वीकृत:	Voted: 2338.57	22.80	2361.37
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403 - पशु पालन	भारित: 2403 - Animal Husbandry	Charged: 0.71	...	0.71

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) प्रादेशिक स्टेशनों हेतु चारा उत्पादन योजना तथा मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल, गाँधी नगर जिले द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु प्रभारित व्यय के अन्तर्गत निधियों की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करना। भारत के आकिस्मिक कोष से ₹ 12.34 लाख की पाशि आहरित की गई थी और संसद द्वारा पूरक अनुदानों के पारित होने के पश्चात निधि की पुनः पूर्ति हेतु। राजस्व भाग के अन्तर्गत पारित बजट में बचतें उपलब्ध हैं अतएव कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

- (ii) मेसर्स आवाज बिल्डर्स (प्रा.) लि. को राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना की योजना में मध्यस्थता पंचाट को कार्यान्वित करने हेतु वस्तुशीर्ष, दर और करों के तहत ₹ 57.33 लाख का भुगतान।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

- (i) meeting the immediate requirement of funds under Charged expenditure in the scheme of Regional Stations for Forage Production and Demonstration for payment of compensation for implementation of judgment passed by Motor Accident Claims Tribunal, Gandhi Nagar District. A sum of ₹ 12.34 lakhs was drawn from Contingency Fund of India and this is to be recouped to the fund after Supplementary Grants is passed by Parliament. This will involve no additional cash outgo as savings are available in voted budget under Revenue Section.

- (ii) payment of ₹ 57.33 lakhs for Rents, Rates & Taxes in the scheme of National Project on Rinderpest Eradication (NPRE) to M/s Awaz Builders (P) Ltd. to implement the arbitration award.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 6

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1761.50	41.12	1802.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	2.50	...	2.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1764.00	41.12	1805.12
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	2.50	2.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (₹ 67.70 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड लि. द्वारा 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार देय ₹ 2.50 करोड़ की व्याज माफी हेतु आवश्यक लेखा समायोजन। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (i) disbursement of ex-gratia to Bhopal Gas victims (₹ 67.70 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ii) carrying out necessary accounting adjustment for interest waiver amounting to ₹ 2.50 crore as on 1.4.2012 payable by Hindustan Insecticides Limited. This will be matched by receipts, hence it will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	65629.96	244.04	65874.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	65629.97	244.04	65874.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted:	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
आयातित विनियंत्रित उर्वरकों को सब्सिडी प्रदान करना (₹ 3000.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:
providing subsidy to imported decontrolled fertilisers (₹ 3000.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1083.02	4155.82	5238.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	2000.00	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1083.02	6155.82	7238.84
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted: 2000.00	...	2000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
प्रतिवर्तन आयोजना और वित्तीय पुनर्गठन आयोजना के भाग के रूप में एयर इंडिया लिमिटेड में इक्विटी सम्मिश्रण। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:
equity infusion in Air India Limited as part of Turn Around Plan and Financial Re-structuring Plan. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	498.35	30.00	528.35
इस समय आवश्यक	Supplementary Estimate of the amount			
रकम का पूरक अनुमान:	now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	65.00	65.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	498.36	95.00	593.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4803 - कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	Voted: ...	65.00 (खb)	65.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	65.00	65.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
4803 - कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	...	(-) 65.00	(-) 65.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| (क) आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत सब्सिडी पर व्यय की व्यवस्था करना (₹ 12.70 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतएव नकद भुगतान नहीं होगा। | (a) meeting expenditure on subsidy under Tribal Sub Plan (₹ 12.70 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, there will be no cash outgo. |
| (ख) "कोयला वाले क्षेत्रों का अधिग्रहण" स्कीम के अन्तर्गत कोल इण्डिया लि. (सीआईएल) की विभिन्न सहायक कंपनियों के लिए अर्जित भूमि हेतु भूविस्थापितों की क्षतिपूर्ति के लिए व्यय व्यवस्था करना। सीआईएल द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि सरकार के पास अग्रिम रूप में जमा कराई जाती है। बढी हुई वसूलियों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। | (b) meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited (CIL) under the scheme "Acquisition of Coal Bearing Areas". The compensation amount is deposited by CIL with Government in advance. Taking into account the enhanced recoveries this will not entail net cash outgo. |

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.00	...	1.00
	स्वीकृत:	Voted: 4054.82	971.68	5026.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4055.87	971.68	5027.55
	भारित:	Charged: 1.03	...	1.03
	स्वीकृत:	Voted: 4054.84	971.68	5026.52
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत: 2407 -Plantations	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	भारित: 3453 - Foreign Trade and Export Promotion	Charged: ...	0.03 (खb)	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	0.03	0.05
	भारित:	Charged: ...	0.03	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) (i) (1)लघु किसान विकास योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 0.10 करोड़) (2) चाय बोर्ड के अंतर्गत ई-नीलामी और संबद्ध क्रियाकलापों सहित चाय अधिनियम के विनियामक प्रावधान के क्रियान्वयन की योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़)।</p> <p>(ii) (1)सांख्यिकीय और सूचना संबंधी सेवाओं और ई-गवर्नेंस की योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (2) निर्यात बंधु योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (3) कार्यालय/रिहायशी भवनों हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (4)रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।</p> | <p>(a) (i) (1) subsidies (₹ 0.10 crore) under Small Growers Development Scheme, and (2) Grants-in-aid General (₹ 0.10 crore) for the Scheme of Implementation of regulatory provision of Tea Act including e-auction and allied activities under Tea Board.</p> <p>(ii) (1) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards the scheme of Statistical and Information Services and e-Governance, (2) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards Niryat Bandhu Scheme, (3) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Office/Residential Buildings, (4) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Training/Capacity Building under Rubber Board.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) विदेश व्यापार द्वारा महानिदेशक प्रबंधित नकद प्रतिपूरक स्कीम के अन्तर्गत न्यायालय के फैसले के कारण होने वाले व्यय को पूरा करना। स्वीकृत भाग से अनुदान के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(b) meeting expenditure arising out of court decree under Cash Compensatory Scheme administered by Directorate General of Foreign Trade. Taking into account the surrender from the voted section of the Grant, there will be no cash outgo.</p> |

अनुदानों की प्रक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	(i)	रत्न और आभूषण के अंतर्गत मुम्बई के (1) कन्वेंशन सेन्टर (₹ 0.01 करोड़) (2) सामुदायिक सुविधा केन्द्र (₹ 0.01 करोड़) (3) जयपुर में रत्न कारोबार (₹ 0.01 करोड़) और (4) मुम्बई में रत्न और आभूषण पार्क (₹ 0.01 करोड़) हेतु पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(c)	(i)	Grants for creation of Capital Assets for (1) Convention Centre in Mumbai (₹ 0.01 crore), (2) Common Facility Centre (₹ 0.01 crore), (3) Gem Business in Jaipur (₹ 0.01 crore) and (4) Gems and Jewellery Park in Mumbai (₹ 0.01 crore) under Gems and Jewellery Sector.
	(ii)	आभूषण क्षेत्र हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।		(ii)	Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for Jewellery Sector.
	(iii)	(1) उद्यम पूँजी निधि हेतु पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (2) जैवतुल्य/ जैवसमतुल्य अध्ययनों हेतु फार्मा क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।		(iii)	(1) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Venture Capital Fund, and (2) Grants-in-aid General for Biosimilar/Bioequivalent Studies (₹ 0.01 crore) under Pharma Sector.
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रक अनुदान माँगा गया है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1494.15	73.10	1567.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1494.18	73.10	1567.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (कa)	...	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिबद्ध देनदारी को निपटाने के लिए परिवहन सब्सिडी के अंतर्गत ₹ 88.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु। क्योंकि अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) केंद्रीय विनिर्माण तकनीकी संस्थान को वेतन के लिए (₹ 0.34 करोड़) अतिरिक्त अनुदान-सहायता और राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए (₹ 1 करोड़) उपलब्ध कराना। क्योंकि अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ग) (i) हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध देनदारी को निपटाने के लिए परिवहन रियायत (₹ 7.16 करोड़) (ii) जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी पैकेज (₹ 29.34 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। क्योंकि अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक रकम की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement of ₹ 88.25 crore under Transport Subsidy to settle the committed liability in North Eastern Region. As savings are available under the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional 'Grants-in-aid Salaries' to Central Manufacturing Technology Institute (₹ 0.34 crore) and National Council for Cement and Building Material (₹ 1 crore). As savings are available under the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure under (i) Transport Subsidy (₹ 7.16 crore) to settle the committed liability in Himachal Pradesh (ii) 'Package for Special Category States for Jammu & Kashmir , Himachal Pradesh and Uttrakhand' (₹ 29.34 crore). As savings are available under the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted: 14379.61	615.77	14995.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.54	0.03	0.57
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14380.26	615.80	14996.06
	भारित:	Charged: 0.64	0.03	0.67
	स्वीकृत:	Voted: 14379.62	615.77	14995.39
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged: ...	0.54 (का)	0.54
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.55	0.55
	भारित:	Charged: ...	0.54	0.54
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित: 5201 - Capital Outlay on Postal Services	Charged: 0.03 (गक)	...	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.03	0.55	0.58
	भारित:	Charged: 0.03	0.54	0.57
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सर्वोत्तम न्यायालय के आदेशों से आए ₹ 0.19 करोड़ और न्यायालय आदेशों के अंतर्गत भर्तों के भुगतान के लिए ₹ 0.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि समकक्ष राशि अनुदान के स्वीकृत भाग से सरेण्डर जाएगी।
- (ख) कम्प्यूटर्स के वार्षिक रखरखाव शुल्क के लिए 23 करोड़ के भुगतान व्यय की पूर्ति हेतु। क्योंकि अनुदान के समान भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) योट्टकरा, पलक्कड, केरल में डाकघर निर्माण के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान पर अधीनस्थ न्यायाधीश (अतिरिक्त), पलक्कड, केरल द्वारा दिए गए आदेश से आए 0.03 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 0.19 crore arising out of Supreme Court Orders and ₹ 0.35 crore for payment of wages under court orders. This will not entail cash outgo as equivalent amount will be surrendered from the voted section of the Grant.
- (b) meeting expenditure towards payment of Annual Maintenance Charges (AMC) of computers for ₹ 23 crore. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 0.03 crore arising out of the orders given by Subordinate Judge (Additional), Pallakkad, Kerala for payment of compensation for land acquisition on construction of Post Office at Thottakara, Palakkad, Kerala. As savings are available within the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	11587.38	1506.66	13094.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 87.65	...	87.65
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11675.04	1506.66	13181.70
	भारित:	Charged: 87.65	...	87.65
	स्वीकृत:	Voted: 11587.39	1506.66	13094.05

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	भारित: 3451 - Secretariat-Economic Services	Charged: ...	87.65	(का) 87.65
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services	Voted: ...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	87.66	87.66
	भारित:	Charged: ...	87.65	87.65
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|--|---|
| (क) दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जुर्माना राशि की वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु भारतीय आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹ 87.65 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु। क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए ₹ 87.65 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। | (a) recoupment of advance of ₹ 87.65 crore sanctioned from the Contingency Fund of India towards payment of interest on the refund of penalty to the telecom service providers arising out of the judgement by Telecom Disputes Settlement & Appellate Tribunal (TDSAT). As the savings are available in the voted section of the grant, technical supplementary for ₹ 87.65 crore is sought. |
| (ख) मैसर्स आई.टी.आई लिमिटेड को इसके कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए ₹ 130 करोड़ की तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। | (b) providing immediate financial support of ₹ 130 crore to M/s Indian Telephone Industries Ltd. for payment of salary to its employees. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 16

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	604.39	19.70	624.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	10.01	...	10.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	614.40	19.70	634.10

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत: 3456 -Civil Supplies	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	10.00 (खब)	10.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	10.01	10.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	...	(-) 10.00	(-) 10.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) प्याज की बिक्री हेतु बाजार में हस्तक्षेप करने से हुए नुकसानों की प्रतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (₹ 0.44 करोड़) को तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिषद लि. (₹ 0.08 करोड़) का भुगतान। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।
- (ख) उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली निधियों के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष के अन्तर्गत प्रावधान में बढोत्तरी। वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) payment to National Co-operative Consumer's Federation as Grants-in-aid General (₹ 0.44 crore) and National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. as Grants-in-aid General (₹ 0.08 crore) for reimbursement of losses for intervening in the market for sale of onion. As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.
- (b) augmentation of provision under Consumer Welfare Fund to be released to the State Governments for Consumer Welfare programmes. Taking into account the recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1409.00	38.00	1447.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1409.03	38.00	1447.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 0.01 (क)	0.01 (ख)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (ग)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (1)शताब्दी और वार्षिकोत्सव (₹ 17.50 करोड़) (2) स्वामी विवेकानंद के 150वीं जन्म सालगिरह उत्सव (₹ 20.00 करोड़) हेतु सामान्य सहायता-अनुदान।
- (ii) केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.02 करोड़)। इस अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक पूरक संकेतक मांगी जाती है।
- (ख) (1) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.63 करोड़)।
- (2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली हेतु वेतन सहायता- अनुदान (₹ 1.25 करोड़)।
- (3) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।
- (4) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 3.80 करोड़)।
- (5) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 1.57 करोड़)।
- (6) एशियाई समाज, कोलकाता हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 2.80 करोड़)।
- (7) गांधी स्मृति और दर्शन समिति हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.39 करोड़)।
- (8) नव नालंदा महावीर और ह्यून-सांग मेमोरियल हाल हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.60 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid-General for:(1)Centenaries and Anniversaries Celebrations (₹ 17.50 crore). (2) Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda (₹ 20.00 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets for Central Institute of Himalayan Culture Studies (₹ 0.02 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (1) Grants-in-aid-Salaries for Sangeet Natak Akademi, New Delhi (₹ 0.63 crore).
- (2) Grants-in-aid-Salaries for Sahitya Akademi, New Delhi (₹ 1.25 crore).
- (3) Grants-in-aid-Salaries for Lalit Kala Akademi, New Delhi (₹ 1.50 crore)
- (4) Grants-in-aid-Salaries for Central Institute of Higher Tiebtan Studies, Varanasi (₹ 3.80 crore)
- (5) Grants-in-aid-Salaries for Central Institute of Buddhist Studies, Leh (₹ 1.57 crore).
- (6) Grants-in-aid-Salaries for The Asiatic Society, Kolkata (₹ 2.80 crore).
- (7) Grants-in-aid-Salaries for Gandhi Smriti and Darshan Samiti (₹ 0.39 crore).
- (8) Grants-in-aid-Salaries for Nav Nalanda Mahavira and Huen T Sang Memorial Hall (₹ 0.60 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(9)	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।	(9)	Grants-in-aid-Salaries for Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies (₹ 0.30 crore).
(10)	कलाक्षेत्र, चेन्नई हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.39 करोड़)।	(10)	Grants-in-aid-Salaries for Kalakshetra, Chennai (₹ 0.39 crore)
(11)	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय हेतु वेतन सहायता- अनुदान (₹ 1.35 करोड़)।	(11)	Grants-in-aid-Salaries for Delhi Public Library, delhi (₹ 1.35 crore).
(12)	राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.06 करोड़)।	(12)	Grants-in-aid-Salaries for Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata (₹ 0.06 crore).
(13)	खुदा बक्श ऑरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.60 करोड़)।	(13)	Grants-in-aid-Salaries for Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna (₹ 0.60 crore).
(14)	रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर हेतु वेतन सहायता- अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।	(14)	Grants-in-aid-Salaries for Rampur Raja Library, Rampur (₹ 0.30 crore).
(15)	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद हेतु वेतन सहायता- अनुदान (₹ 3.77 करोड़)।	(15)	Grants-in-aid-Salaries for Salarjung Museum, Hyderabad (₹ 3.77 crore).
(16)	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता हेतु वेतन सहायता- अनुदान (₹ 0.91 करोड़)।	(16)	Grants-in-aid-Salaries for Victoria Memorial Hall, Kolkata (₹ 0.91 crore).
(17)	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं लाइब्रेरी, नई दिल्ली हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 1.94 करोड़)।	(17)	Grants-in-aid-Salaries for Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (₹ 1.94 crore).
(18)	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता हेतु वेतन सहायता- अनुदान (₹ 2.48 करोड़)।	(18)	Grants-in-aid-Salaries for Indian Museum, Kolkata (₹ 2.48 crore).
(19)	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद हेतु वेतन सहायता- अनुदान (₹ 3.90 करोड़)।	(19)	Grants-in-aid-Salaries for National Council of Science Museums (₹ 3.90 crore).
	इस अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, पूरक संकेतक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) गुरु देव रवीन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म वार्षिकोत्सव हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.22 करोड़)।	(c)	(i) Grants-in-aid General for Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore (₹ 0.22 crore).
	(ii) स्वामी विवेकानन्द के 150वीं जन्मवार्षिकोत्सव हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।	(ii)	Grants-in-aid General for Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekanand (₹ 0.50 crore).
	बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.26	...	0.26
	स्वीकृत:	Voted:	14723.43	1874.55	16597.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14723.70	1874.55	16598.25	
	भारित:	Charged:	0.26	...	0.26
	स्वीकृत:	Voted:	14723.44	1874.55	16597.99
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस (आईडीएसए) को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना(₹ 6.99 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समान बचतें उपलब्ध हैं, अतएवं सांकेतिक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing 'Grants-in-aid General' to Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (₹ 6.99 crore). As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवा - नौ सेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	6.20	...	6.20
	स्वीकृत:	Voted:	12741.82	...	12741.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	7.00	...	7.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		12755.02	...	12755.02
	भारित:	Charged:	13.20	...	13.20
	स्वीकृत:	Voted:	12741.82	...	12741.82
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	भारित: 2077 - Defence Services - Navy	Charged:	...	7.00	7.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण की विभिन्न शाखाओं द्वारा दिए गए निर्णयों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिक शेष से संस्वीकृत ₹ 7 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति। चूंकि बचतें अनुदान के उसी माग में उपलब्ध हैं। तकनीकी पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary appropriation is required for:

recoupment of an advance of ₹ 7 crore sanctioned from the Contingency Fund of India towards meeting additional expenditure arising out of judgements made by various branches of Central Administrative Tribunal. As the savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 24

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	2.32	...	2.32
	स्वीकृत:	Voted:	18322.87	...	18322.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	3.00	...	3.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		18328.19	...	18328.19
	भारित:	Charged:	5.32	...	5.32
	स्वीकृत:	Voted:	18322.87	...	18322.87
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित: 2078 - Defence Services - Air Force	Charged:	...	3.00	3.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय आदेशों के तहत ₹ 3 करोड़ का भुगतान करना। अनुदान के पारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखना, तकनीकी पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary appropriation is required for:

making payment of ₹ 3 crore towards Court Orders. Taking into account the savings available in the voted section of the grant, technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	51.65	51.65
	स्वीकृत:	Voted: ...	79526.98	79526.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	79578.64	79578.64
	भारित:	Charged: ...	51.65	51.65
	स्वीकृत:	Voted: ...	79526.99	79526.99
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारी तथा मझोले वाहनों के लिए ₹ 101.50 करोड़ और पूर्वोत्तर परियोजनाओं के लिए ₹ 10 करोड़ उपलब्ध कराना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing ₹ 101.50 crore for 'Heavy & Medium Vehicles' and ₹ 10 crore for 'North Eastern Projects'. As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	1464.45	207.84	1672.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1464.55	207.86	1672.41	
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	1464.45	207.86	1672.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
5455 - मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5455 - Capital Outlay on Meteorology	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण का अधिक विस्तार' कार्यक्रम के तहत भू-विज्ञान मंत्रालय के मुख्य भवन से जुड़े प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए संविदापरक भुगतान करना (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) 'पर्यावरणिक प्रक्रिया और प्रतिरूपण सेवाएं' कार्यक्रम के तहत नैशनल सेंटर फार मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग भवन के निर्माण से जुड़े प्रमुख निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड को संविदात्मक भुगतान करना (₹ 7 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

(a) making contractual payment for the major works related to Headquarters building of Ministry of Earth Sciences under the programme 'Research Education and Training Outreach' (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) making contractual payment to National Buildings Construction Corporation Limited (NBCC) for the major works related to National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) building's construction under the programme 'Atmospheric Process and Modeling Services' (₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3012.28	70.13	3082.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3012.31	70.14	3082.45
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted: 0.01	(क) ...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01	(ख) ...	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted: 0.01	(ग) ...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.03	...	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Voted: 0.01	(घ) ...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्न के लिए सामान्य सहायतानुदान (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आईसीएफआरई) (₹ 23 करोड़), (2) भारतीय वन्य जीवन संस्थान (₹ 2 करोड़), तथा (ii) आईसीएफआरई को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 7 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ व्यय के वर्धन हेतु आईसीएफआरई को सामान्य सहायतानुदान (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) निम्न के लिए सामान्य सहायतानुदान (i) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 4 करोड़), (ii) गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹ 2.50 करोड़), (iii) पर्यावरण प्राधिकरण तथा पर्यावरण आयोग एवं अधिकरण की स्थापना (₹ 0.45 करोड़), (iv) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (₹ 3 करोड़), तथा जैव-विविधता संरक्षण (₹ 28.06 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास अभिलेखागार के तहत सवाई माधोपुर में क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास अभिलेखागार के लिए भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय की पूर्ति (₹ 4 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to (1) Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) (₹ 23 crore), (2) Wildlife Institute of India (₹ 2 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets to ICFRE (₹ 7 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General to ICFRE (₹ 1.50 crore) for augmentation of expenditure for the benefit of North Eastern Region. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General to (i) Centres of Excellence (₹ 4 crore), (ii) Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 2.50 crore), (iii) Establishment of Environment Authorities and Environment Commission and Tribunal (₹ 0.45 crore), (iv) National Natural Resource Management System (₹ 3 crore), and (v) Bio-diversity Conservation (₹ 28.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting capital expenditure towards construction of Building for Regional Museum of Natural History at Sawai Madhopur (₹ 4 crore) under National Museum of Natural History. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 31

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	7623.94	2038.00	9661.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	365.00	365.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7623.98	2403.00	10026.98	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	7623.95	2403.00	10026.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 - External Affairs	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम	स्वीकृत: 7605 - Advances to Foreign Governments	Voted:	...	365.00 (खब)	365.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	365.01	365.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वीवीआईपी यात्रा हेतु एयर इंडिया को अनुरक्षण लागत (₹ 73.73 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना। अनुदान के इसी भाग में बचतों को हिसाब में लेते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) भुटान की शाही सरकार को वैकल्पिक ऋण सुविधा (₹ 400 करोड़) देना। इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों (Rs.35 करोड़) को हिसाब में लेते हुए और अनुदान के राजस्व भाग में बचतों (Rs. 365 करोड़) के अभ्यर्पण से कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional funds towards maintenance cost (₹ 73.73 crore) to Air India for VVIP travel. Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) extending Standby Credit Facility (₹ 400 crore) to Royal Government of Bhutan. Taking into account the savings available (₹ 35 crore) in Capital Section of the Grant and surrender of savings (₹ 365 crore) in Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		राजस्व Revenue	(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 9081.35	58961.08	68042.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9199.70	58961.12	68160.82
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	6.60 (का)	6.60
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	4.49 (खb)	4.49
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	3.89 (गc)	3.89
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: ...	91.72 (घd)	91.72
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted: ...	11.65 (ङe)	11.65
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: ...	118.35	118.35
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4075 - Capital Outlay on Miscellaneous General Services	Voted: ...	0.01 (चf)	0.01
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: ...	0.01 (छg)	0.01
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (जh)	0.01
7475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 7475 - Loans for Other General Economic Services	Voted: ...	0.01 (झi)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: ...	0.04	0.04
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	118.39	118.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) वेतन और मजदूरी, अन्य प्रशासनिक व्यय और व्यावसायिक सेवाओं पर ₹ 7.15 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.55 करोड़ की बचत को देखते हुए और चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) 14 वित्त आयोग के लिए कार्यालय किराए पर लेने के संबंध में किराया प्रभार और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) संबंधी बकाया किराए का भुगतान। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों का अभ्यर्पण किया जाएगा अतः इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) additional requirement of ₹ 7.15 crore on account of Salary and wages, Other Administrative Expenses and Professional Services. After taking into account the saving of ₹ 0.55 crore in the same section of the Grant and as equivalent saving is available in the capital section of the grant which will be surrendered, this will not involve any additional cash outgo.
- (b) payment of rental charges in respect of hiring accommodation for the 14th Finance Commission and for revision of rent and payment of arrears of rent in respect of Securities Appellate Tribunal (SAT). As equivalent savings are available in the capital section of the Grant which will be surrendered, this will not involve any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को भारत सरकार के अंशदान हेतु ₹ 4.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.11 करोड़ की बचतों और पूँजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों (₹ 3.89 करोड़) के अभ्यर्पण को देखते हुए इस व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।	(c) meeting additional requirement of ₹ 4.00 crore for Government of India (Gol) Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD). Taking into consideration savings of ₹ 0.11 crore available in the same section of the grant and surrender of equivalent savings available under capital section (₹ 3.89 crore), the expenditure will not entail cash outgo.
(घ) (i) 1981 में यमन सरकार को प्रदत्त ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देय राशि (₹ 2.07 करोड़) की माफी। चूँकि इस व्यय की पूर्ति समतुल्य राशि की प्राप्तियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। (ii) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान (एनसीईआर) परिषद (₹ 15.00 करोड़) और राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, इटानगर (₹ 10.00 करोड़) को ₹ 25.00 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 0.35 करोड़) और पूँजी भाग के तहत उपलब्ध समतुल्य बचतों (₹ 24.65 करोड़) के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d) (i) waiver of outstanding dues (₹ 2.07 crore) in respect of Line of Credit extended to Government of Yemen in 1981. As this expenditure will be matched by receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo. (ii) providing ₹ 25.00 crore, Grant-in-aid-General to National Council for Applied Economic Research (NCAER) (₹ 15.00 crore) and Rajiv Gandhi University, Department of Economics, Itanagar (₹ 10.00 crore). After taking into consideration savings of (₹ 0.35 crore) in the same section of the grant and surrender of equivalent savings available under capital section (₹ 24.65 crore), this will not entail cash outgo.
(iii) व्याज समकरण सहायता के संबंध में भारतीय एक्विजिमेंट बैंक को अतिरिक्त भुगतान (₹ 65.00 करोड़)। चूँकि अनुदान के पूँजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(iii) additional payment to EXIM Bank of India, (₹ 65.00 crore) towards Interest Equalization Support. As equivalent savings are available in the capital section of the grant, this will not entail cash outgo.
(ङ) (i) एशियाई विकास बैंक की 46वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय (₹ 7.62 करोड़) की पूर्ति। (ii) वैश्विक पर्यावरण सुविधा केन्द्र (जीईएफ) के संबंध में अंशदान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 1.25 करोड़), कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण और दक्षिण एशिया को तकनीकी सहायता (₹ 0.61 करोड़), और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) (₹ 2.17 करोड़)। चूँकि अनुदान के पूँजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः उपर्युक्त व्यय में कोई और नकद व्यय नहीं होगा।	(e) (i) meeting additional expenditure (₹ 7.62 crore) towards organizing 46th Annual General Meeting (AGM) of Asian Development Bank (ADB). (ii) meeting additional expenditure for contribution towards Global Environment Facility(GEF) (₹ 1.25 crore); Technical Aid to South and South East Asia under the Colombo Plan (₹ 0.61 crore); and United Nations Development Programme (UNDP) (₹ 2.17 crore). As savings are available in the capital section of the grant, the above expenditure will not entail any further cash outgo.
(च) बजट प्रेस के लिए मशीनरी की खरीद पर ₹ 0.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(f) meeting additional expenditure of ₹ 0.91 crore on purchase of Machinery for Budget Press. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(छ) नव सृजित नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कम्पनी लिमिटेड (एनएफएचसीएल) में प्रदत्त पूँजी के संबंध में ₹ 1.00 करोड़ प्रदान करेगा। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।	(g) providing ₹ 1.00 crore towards paid up capital in the newly created National Financial Holdings Company Limited (NFHCL). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज) (i) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को मूल्य अनुरक्षण (₹ 4005.43 करोड़) के लिए भुगतान करना। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसे निर्गत की जाने वाली प्रतिभूतियों के जरिए आवतियों द्वारा समतुल्य किया जाएगा। (ii) अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक; एशियाई विकास बैंक; और अफ्रीकी विकास बैंक के लिए भारत सरकार के अभिदान पर विनिमय दर भिन्नतर नगदी में (₹ 29.03 करोड़) और प्रतिभूतियों में ₹ 20.44 करोड़ को पूरा करना। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।	(h) (i) making payment for Maintenance of Value (MoV) (₹ 4005.43 crore) to International Monetary Fund (IMF). There will be no cash outgo as this would be matched by receipts through securities to be issued. (ii) meeting exchange rate variation (₹ 29.03 crore in Cash and ₹ 20.44 crore in Securities) on Government of India (Gol) Subscription to International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); Asian Development Bank (ADB); and African Development Bank (AfDB). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought for the above items.
(झ) नयी उधार व्यवस्थाएं (₹ 11294.60 करोड़) के अन्तर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण मुहैया कराना। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।	(i) providing of loans to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangements to Borrow (NAB) (₹ 11294.60 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	8535.23	15902.01	24437.24	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8535.25	15902.02	24437.27	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (का)	0.01	
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: ...	0.02	0.02	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4416 - कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 4416 - Investments in Agricultural Financial Institutions	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.02	0.03	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) जनश्री बीमा योजना के लिए एल आई सी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा कोष बढ़ाने के लिए ₹ 25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं अतएव पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ख) (i) स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टैबलाइजेशन फण्ड (एस ए एस एफ) को जारी प्रतिभूतियों के विमोचन पर ₹ 300.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- (ii) आवास ऋणों पर 1% ब्याज सबवेंसन के संबंध में सव्मिडी भुगतान हेतु ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं अतएव पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ग) (i) नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) की शेयर पूंजी को सब्सक्राइब करने तथा इसके पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए ₹ 500 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के पुनः पूंजीकरण (रिकैपिटलाइजेशन) हेतु सरकारी शेयर अंशदान हेतु ₹ 335 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं अतएव पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement of ₹ 25 crore to augment the Social Security Fund maintained by LIC for Janashree Bima Yojana. As savings are available within in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional expenditure of ₹ 300.00 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF).
- (ii) meeting additional requirement of ₹ 100 crore for payment of subsidy in respect of 1% interest subvention on housing loans. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) meeting additional requirement of ₹ 500 crore to subscribe to the share capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to augment its capital base.
- (ii) meeting additional requirement of ₹ 335 crore towards contribution of Government's share for recapitalisation of Regional Rural Banks (RRBs). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 41

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		राजस्व Revenue	(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1167.03	11.54	1178.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1167.07	11.55	1178.62
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1167.05	11.55	1178.60
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत: 2047 -Other Fiscal Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2875 - अन्य उद्योग	स्वीकृत: 2875 -Other Industries	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4047 - Capital Outlay on Other Fiscal Services	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| (क) (i) माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएम) के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) को (₹ 1.00 करोड़) की सहायता अनुदान प्रदान करना। | (a) (i) providing Grants-in-aid (₹ 1.00 crore) to Special Purpose Vehicle (SPV) for Goods & Service Tax Network (GSTN). |
| (ii) कोर्पस निधि तथा वेतन (₹ 10.15 करोड़); प्रवर्तन निदेशालय के रख-रखाव व्यय (₹ 0.66 करोड़), सीईएसटीएटी (₹ 0.05 करोड़) तथा अंतर्राष्ट्रीय अंशदान (₹ 0.22 करोड़) के लिए राष्ट्रीय जनवित्त नीति संस्थान को सहायता अनुदान प्रदान करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है। | (ii) providing Grants-in-aid to the National Institute of Public Finance & Policy towards Corpus Fund and Salaries (₹ 10.15 crore); maintenance expenditure of Enforcement Directorate (₹ 0.66 crore; CESTAT (₹ 0.05 crore) and International Contribution (₹ 0.22 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) (ii) कोडीन फास्फेट के आयात तथा अलसरों की खरीद (₹ 70.30 करोड़) के लिए, अफीम की लागत अफीम फैक्ट्रियों से अलकालोमद कार्यों (₹ 9.64 करोड़) तथा व्यावसायिक सेवाओं (₹ 0.78 करोड़) को अंतरित। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है। | (b) for import of Codeine Phosphate and purchase of other stores (₹ 70.30 crore); cost of opium transferred from Opium Factories to Alkaloid Works (₹ 9.64 crore) and Professional Services (₹ 0.78 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ग) माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएम) के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) को ₹ 2.45 करोड़ की इक्विटी भागीदारी प्रदान करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है। | (c) providing Equity participation of ₹ 2.45 crore to the Special Purpose Vehicle for Goods & Service Tax Network (GSTN). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 42

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3071.18	809.28	3880.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	230.32	0.01	230.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3301.50	809.29	4110.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना	आयोजना- भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020 - आय और व्यय पर करों का संग्रहण	स्वीकृत: 2020 -Collection of Taxes on Income and Expenditure	Voted: ...	230.32	(फा) 230.32
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	230.33	230.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत आयकर विभाग की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति: वेतन (₹ 78.42 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 4.00 करोड़), कार्यालय व्यय-सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 175.00 करोड़) और विभागीय कैंटीन (₹ 0.42 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और पूंजी भाग के तहत ₹ 230.32 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) फाइनांस सिटी, बंगलुरु में कार्यालय भवन के लिए भूमि की खरीद हेतु प्रावधान करना (₹ 7.50 करोड़)।
(ii) भोपाल में पूर्व निर्मित कार्यालय स्पेस की खरीद (₹ 50 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional establishment related expenditure of Income Tax Department under various object heads viz., salaries (₹ 78.42 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 4.00 crore), Office expenses-Information Technology (₹ 175.00 crore) and Departmental Canteen (₹ 0.42 crore). After taking into account the savings available in the same section of the grant and surrendering of savings of ₹ 230.32 crore under Capital Section, the expenditure will not entail cash outgo.

(b) (i) making provision for purchase of Land for office building at Finance City, Bengaluru (₹ 7.50 crore)
(ii) purchase of Ready-Built office space at Bhopal (₹ 50 crore). As savings are available in the same section of grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 43

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50	
	स्वीकृत:	Voted:	3481.38	119.20	3600.58	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	53.90	0.01	53.91	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3535.78	119.21	3654.99	
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50	
	स्वीकृत:	Voted:	3535.28	119.21	3654.49	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:	...	3.56 (कa)	3.56
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत:	2038 -Union Excise Duties	Voted:	...	50.34 (खb)	50.34
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	...	53.90	53.90
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	...	53.91	53.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) निम्नलिखित विभिन्न वस्तु, शीर्षों के तहत सीमाशुल्क कार्यालयों की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की शर्तें : वेतन (₹ 16.76 करोड़ रुपए) मजदूरी (₹ 0.58 करोड़ रुपए) और घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.31 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और पूंजी मांग (₹ 3.56 करोड़) के अन्तर्गत बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की स्थापना। संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति : वेतन (₹ 43.24 करोड़ रुपए), मजदूरी (₹ 1.07 करोड़ रुपए), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.79 करोड़ रुपए), कार्यालय व्यय सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 28.00 करोड़ रुपए), किराया दरें एवं कर (₹ 5.00 करोड़ रुपए) और प्रकाशन (₹ 0.20 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और पूंजी भाग में ₹ 50.34 करोड़ रुपए की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) बंगलुरु में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) के जरिए नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एक्ससाइज एण्ड नारकोटिक्स (एनएसीईएन) के नए कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 3.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (a) Meeting additional establishment related expenditure of Customs Offices under various object heads viz., salaries (₹ 16.76 crore), Wages (₹ 0.58 crore) and Domestic Travel Expenses (₹ 0.31 crore). After taking into account the savings available in the same section of the grant and surrender of savings under Capital Section (₹ 3.56 crore), the above expenditure will not entail cash outgo.
- (b) Meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices under various object heads viz., salaries (₹ 43.24 crore), Wages (₹ 1.07 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.79 crore), Office expenses-Information Technology (₹ 28.00 crore), Rent, Rates & Taxes (₹ 5.00 crore) and Publications (₹ 0.20 crore). After taking into account the savings available in the same section of the grant and surrender of savings of ₹ 50.34 crore under Capital Section, the above expenditure will not entail cash outgo.
- (c) Meeting additional expenditure (₹ 3.50 crore) for construction of a new office complex for National Academy of Customs Excise & Narcotics (NACEN) through National Building Construction Corporation Limited (NBCC) at Bengaluru. As saving is available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	670.54	...	670.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	670.56	...	670.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 50 करोड़)। | (a) (i) providing additional Grants-in-aid- General to the scheme for Technology Upgradation/ Establishment/ Modernization of Food Processing Industries (₹ 50.00 crore). |
| (ii) मेगा फूड पार्कों की अवसंरचना विकास योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.50 करोड़)। | (ii) providing additional Grants-in-aid- General to the Scheme of Infrastructure Development for Mega Food Parks (₹ 2.50 crore). |

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- | | |
|---|--|
| (ख) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 10.00 करोड़)। | (b) (i) providing additional Grants-in-aid General to the Scheme for Technology Upgradation/ Establishment/ Modernization of Food Processing Industries (₹ 10.00 crore). |
| (ii) मेगा फूड पार्कों की अवसंरचना विकास योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.38 करोड़)। | (ii) providing additional Grants-in-aid- General to the Scheme for Infrastructure Development of Mega Food Parks (₹ 2.38 crore). |

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	30681.98	2298.31	32980.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	3.75	...	3.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	30685.73	2298.31	32984.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	3.70 (खb)	3.71
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted: 0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
3606 - सहायता सामग्री और उपस्कर	स्वीकृत: 3606 -Aid Materials and Equipment	Voted: ...	0.01 (चf)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	3.72	3.75

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3606 - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606 - Aid Materials and Equipment	...	(-) 3.70	(-) 3.70

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों को पानी, बिजली के प्रशुल्कों के संशोधन और उपभोज्य वस्तुओं, अभिकर्मक द्रव्यों आदि का मूल्य बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.40 करोड़) 2. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर (₹ 5.11 करोड़) 3. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (₹ 20.50 करोड़) 4. पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर (₹ 6.00 करोड़) 5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलोजिकल्स, नोएडा (₹ 6.65 करोड़) 6. राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 44.50 करोड़) 7. रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट सेन्टर, जिपमर, पुडुचेरी (₹ 21.00 करोड़) 8. निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 8.32 करोड़) 9. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, 'राष्ट्रीय ड्रग नशामुक्ति कार्यक्रम (₹ 1.31 करोड़) 10. चिकित्सा शिक्षा एवं

The supplementary grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid-General to the following Institutions/ Programmes to meet the additional expenditure due to upward revision of tariffs of water, electricity, and hike in prices of consumables, reagents, etc.: 1.Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.40 crore) 2.All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 5.11 crore) 3.Food Safety & Standard Authority of India (₹ 20.50 crore) 4.Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 6.00 crore) 5.National Institute of Biologicals, Noida (₹ 6.65 crore) 6.National T.B. Control Programme (₹ 44.50 crore) 7.Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 21.00 crore) 8.Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 8.32 crore) 9.All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, under 'National Drug De-

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़, 'राष्ट्रीय ड्रग नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत (₹ 3.08 करोड़)।</p>	<p>addiction Programme' (₹ 1.31 crore) 10. Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, under 'National Drug De-addiction Programme' (₹ 3.08 crore).</p>
<p>(ii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों को सहायता अनुदान वेतन : 1. कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी वर्धा (₹ 10.00 करोड़) 2. राष्ट्रीय बायोलॉजिकल संस्थान, नोएडा (₹ 2.75 करोड़) 3. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली (₹ 23.00 करोड़) 4. निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 39.74 करोड़) 5. राष्ट्रीय ड्रग तथा नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (₹ 1.62 करोड़)।</p>	<p>(ii) Grants for creation of capital assets to the following Institutions/ Programmes: 1. Kasturba Health Society, Wardha (₹ 10.00 crore) 2. National Institute of Biologicals, Noida (₹ 2.75 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 23.00 crore) 4. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 39.74 crore) 5. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangaluru, under 'National Drug De-addiction Programme' (₹ 1.62 crore).</p>
<p>(iii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों को सहायता अनुदान वेतन : 1. कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा (₹ 25.45 करोड़) 2. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 22.00 करोड़) 3. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमर), पुडुचेरी (₹ 4.00 करोड़) 4. निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 89.83 करोड़)।</p>	<p>(iii) Grants-in-aid-Salaries to the following Institutions/ Programmes: 1. Kasturba Health Society, Wardha (₹ 25.45 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 22.00 crore) 3. Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research (JIPMER), Puducherry (₹ 4.00 crore) 4. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 89.83 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ख) (i) 'सरकारी कॉलेजों में पूंजी/पीजी सीटों के लिए काउंसलिंग योजना के तहत अतिरिक्त व्यय ₹ 3.70 करोड़। इस व्यय की पूर्ति वर्धित वसूली से की जाएगी।</p>	<p>(b) (i) Additional expenditure under the scheme "Counseling for UG/PG seats in Govt. Colleges" (₹ 3.70 crore). This expenditure will be met from the enhanced recovery.</p>
<p>(ii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों को पानी, बिजली के प्रशुल्कों के संशोधन और उपभोज्य वस्तुओं, अभिकर्मक द्रव्यों आदि का मूल्य बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान : 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 1.35 करोड़) 2. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 54.70 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (₹ 6.63 करोड़) 4. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर (₹ 2.55 करोड़) 5. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 40.00 करोड़) 6. रीजनल पोस्टर ग्रेजुएट सेन्टर जिपमर, पुडुचेरी (₹ 12.00 करोड़)।</p>	<p>(ii) Grants-in-aid-General to the following Institutions/ Programmes to meet additional expenditure due to upward revision of tariffs of water, electricity, and hike in prices of consumables, reagents, etc: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 1.35 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 54.70 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangaluru (₹ 6.63 crore) 4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 2.55 crore) 5. Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (₹ 40.00 crore) 6. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 12.00 crore)</p>
<p>(iii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों को वेतन सहायता अनुदान: 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली (₹ 0.25 करोड़) 2. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 84.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, बंगलुरु (₹ 1.00 करोड़) 4. रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट सेन्टर, जिपमर, पुडुचेरी (₹ 8.00 करोड़)।</p>	<p>(iii) Grants-in-aid-Salaries to the following Institutions/ Programmes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.25 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 84.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangaluru (₹ 1.00 crore) 4. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 8.00 crore).</p>
<p>(iv) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशालय की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 1.48 करोड़)।</p>	<p>(iv) To meet establishment related expenditure of "Directorate General of Central Government Health Scheme" (₹ 1.48 crore).</p>
<p>(v) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यवस्था की जाने वाली कोडेक्स बैठकों में जाने वाले विकासशील देशों से प्रतिनिधियों संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु, नई योजना "कोडेक्स न्याय विधि (सीटीएफ) के तहत अंशदान के भुगतान हेतु (₹ 0.08 करोड़)।</p>	<p>(v) For payment of contribution under a new scheme "Codex Trust Fund (CTF)" for meeting expenditure on delegates from developing countries going to various codex meetings to be managed by World Health Organisation (₹ 0.08 crore).</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(vi) 'राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत ज्यादा टिकाऊ कीटनाशी मच्छरदानियों की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 75.05 करोड़)।	(vi) To meet additional expenditure on procurement of Long Lasting Insecticidal Bednets (LLIN) under 'National Vector Borne Disease Control Programme' (₹ 75.05 crore).
उसी भाग में उपलब्ध बचतों तथा Rs.3.70 करोड़ रूपर की बढ़ी हुई वसूली को देखते हुए कोई नकद व्यय नहीं होगा।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and enhanced recoveries of ₹ 3.70 crore, there will be no cash outgo.
(ग) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों को सहायता अनुदान : 1. अमरीकी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत परिवार नियोजन सेवा एजेन्सी, लखनऊ (यू.पी.) विदेशी सहायता प्राप्त संघटक में राज्य (₹ 12.92 करोड़) 2. परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु भारतीय चिकित्सा संघ (₹ 0.30 करोड़)।	(c) Grants-in-aid-General to the following Institutions/Programmes: 1. State Innovation in Family Planning Services Agency, Lucknow (U.P) (External Aided Component) under 'USAID assisted Project' (₹ 12.92 crore) 2. Indian Medical Association for 'Family Welfare Programme' (₹ 0.30 crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और बिजली, पानी आदि के प्रशुल्क में बढ़ोतरी संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.94 करोड़)।	(d) (i) Grants-in-aid-General to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi to meet the additional expenditure on retirement benefits to staff, and increase in tariff of electricity, water, etc. (₹ 3.94 crore).
(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.85 करोड़)।	(ii) Grants-in-aid-Salaries to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 0.85 crore).
(iii) 'पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम' के तहत ओरल पोलियो वैकसीन की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 67.80 करोड़)।	(iii) To meet additional expenditure on procurement of Oral Polio Vaccine under 'Pulse Polio Immunisation Programme' (₹ 67.80 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों को पानी, बिजली के प्रशुल्कों के संशोधन और उपभोज्य वस्तुओं, अभिकर्मक द्रव्यों आदि का मूल्य बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सांसेज, शिलांग (₹ 36.43 करोड़) 2. नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों की आपूर्ति (₹ 1.00 करोड़) 3. पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों की आपूर्ति (₹ 0.20 करोड़)।	(e) Grants-in-aid-General to the following Institutions/Programmes to meet additional expenditure due to upward revision of tariffs of water, electricity, and hike in prices of consumables, reagents, etc.: 1. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 36.43 crore) 2. Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme (₹ 1.00 crore) 3. Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme (₹ 0.20 crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च) 'राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत यूनाइटेड नेशनल इन्वेटिव फॉर टी.बी. एंड एड्स (यूनिटेड) से सहायता सामग्री सहायता (विदेशी सहायता संघटक) (₹ 16.50 करोड़)। प्राप्ति में तदनुसूची वृद्धि होगी।	(f) Aid-material assistance (External Aided Component) from United Nations Innovative for T.B. and AIDS (UNITAID) under 'National T.B. Control Programme' (₹ 16.50 crore). There will be a corresponding increase in the Receipts.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	908.00	...	908.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	908.01	...	908.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुदान-सहायता-सामान्य भोपाल मेमोरियल अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र (बी.एम.एच. आर.सी), भोपाल का वेतन से इतर व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को (₹ 13.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid-General to Indian Council of Medical Research, New Delhi for meeting Non-salary expenditure of Bhopal Memorial Hospital and Research Centre (BMHRC), Bhopal (₹ 13.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	553.16	456.51	1009.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	553.17	456.52	1009.69
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:			
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4860 - Capital Outlay on Consumer Industries	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आटोमोबाइल तथा सम्बद्ध उद्योग हेतु विकास परिषद को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 10 करोड़) उपलब्ध कराना।
- (ख) वीआरएस योजना के कार्यान्वयन हेतु 7 प्रतिशत गैर-संचयी अधिमान शेयर के रूप में पूंजी उपलब्ध कराना (₹ 60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगें अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grant-in-Aid General (₹ 10 crore) for Development Council for Automobile & Allied Industry.
- (b) providing equity capital in the form of 7% non-cumulative preference share to NEPA towards implementation of their Voluntary Retirement Scheme (₹ 60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 52

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 2925.36	49.34	2974.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2925.37	49.34	2974.71
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹ 0.01 करोड़), अनुवाद में प्रशिक्षण के विस्तार की स्कीम (₹ 0.01 करोड़) तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद क्षमता के विस्तार की स्कीम (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में प्रकाशन के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना।
- (ii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹ 0.02 करोड़) तथा अनुवाद में प्रशिक्षण विस्तार स्कीम (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में लघु कार्यों के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting expenditure under Publication in respect of Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore), Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore) and Scheme of Expansion of Translation Capacity in Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore).
- (ii) meeting expenditure under Minor Works in respect of Central Translation Bureau (₹ 0.02 crore) and Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 53

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	602.69	139.08	741.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	20.00	30.13	50.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		622.79	169.21	792.00
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	622.69	169.21	791.90
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted:	...	20.00 (का)	20.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	...	30.13 (खb)	30.13
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	50.13	50.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| (क) विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के संदर्भ में अस्त्र शस्त्र के अंतर्गत व्यय पूरक।
उपरोक्त में नकद व्यय होगा। | (a) meeting expenditure under Arms and Ammunition in respect of Special Protection Group (SPG).
The above expenditure will entail a cash outgo. |
| (ख) एसपीजी के संदर्भ में मशीनरी तथा उपस्कर के अंतर्गत व्यय पूरा करना जिसमें से ₹ 12.50 करोड़ इस प्रयोजन के लिए भारतीय आकस्मिकता निधि में से अग्रिम राशि के लिए वापसी हेतु होंगे।
उपरोक्त में नकद व्यय होगा। | (b) meeting expenditure under Machinery and Equipment in respect of SPG, of which ₹ 12.50 crore will be for recoupment towards advance drawn from Contingency Fund of India for the purpose.
The above expenditure will entail a cash outgo. |

मांग संख्या DEMAND NO. 54

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		राजस्व Revenue	(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 5.67	7.87	13.54
	स्वीकृत:	Voted: 37515.15	9333.56	46848.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 8.15	...	8.15
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	0.02	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	37529.01	9341.45	46870.46
	भारित:	Charged: 13.82	7.87	21.69
	स्वीकृत:	Voted: 37515.19	9333.58	46848.77
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	भारित: 2055 - Police	Charged: ...	8.15 (का)	8.15
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गc)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: ...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	8.18	8.19
	भारित:	Charged: ...	8.15	8.15
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	0.03	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: 0.01 (चf)	0.01 (छg)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	8.19	8.21
	भारित:	Charged: ...	8.15	8.15
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.04	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजा के भुगतान हेतु असम राइफल्स को (₹ 7.65 करोड़) तथा वाहन दुर्घटना दावा अभिकरण के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करने हेतु दिल्ली पुलिस (₹ 0.50 करोड़) को अन्य प्रभागों (प्रभारित) के अंतर्गत व्यय करने हेतु। अनुदान की राजस्व स्वीकृत धारा के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को लौटाए जाने को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) सीमा सुरक्षा बल के वायु विंग हेतु छुट-पुट कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 28.26 करोड़)।
(ii) सीमा सुरक्षा बल के एयर विंग हेतु अन्य प्रभागों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 10.00 करोड़)।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting expenditure under Other Charges (Charged) of Assam Rifles on payment of compensation for land as per High Court order (₹ 7.65 crore) and Delhi Police for awarding compensation under the Motor Accident Claims Tribunal (₹ 0.50 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (i) meeting additional expenditure under Minor Works of Air Wing of Border Security Force (BSF) (₹ 28.26 crore).
(ii) meeting additional expenditure under Other Charges of Air Wing of BSF (₹ 10.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।</p>		<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.</p>	
(ग)	<p>(i) केन्द्रीय पुलिस संगठन के कल्याण अनुदानों पर व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 0.01 करोड़)।</p> <p>(ii) नक्सलवाद से निपटने हेतु अन्य प्रभागों के अंतर्गत व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 80.00 करोड़)।</p> <p>(iii) सीमा सुरक्षा बल की एयर कोरियर सर्विसिस हेतु अन्य प्रभागों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 73.00 करोड़)।</p>	(c)	<p>(i) meeting expenditure under Subsidies on Welfare Grants of Central Police Organisation (₹ 0.01 crore).</p> <p>(ii) meeting expenditure under Other Charges for naxal management (₹ 80.00 crore).</p> <p>(iii) meeting additional expenditure on Air Courier Services of BSF under Other Charges (₹ 73.00 crore).</p>
<p>अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।</p>		<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.</p>	
(घ)	<p>गोरखालेण्ड टैरिटरियल एडमिनिस्ट्रेशन को पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की पुर्न प्राप्ति (₹ 65.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	(d)	<p>recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for providing Grants for Creation of Capital Assets to Gorkhaland Territorial Administration (₹ 65.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(ङ)	<p>स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को संघ शासित प्रदेशों हेतु सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹ 0.40 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	(e)	<p>Narcotics Control Bureau for providing Grants-in-aid-General to Union Territories (₹ 0.40 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(च)	<p>(i) सीमा सुरक्षा बल के मशीनरी तथा उपस्कर के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 73.40 करोड़)।</p> <p>(ii) निम्नलिखित के कार्यालय भवन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी (एनआईए) (₹ 31.40 करोड़) तथा सेन्ट्रल फारेन्सिक साइन्स लैब (₹ 0.07 करोड़)।</p> <p>(iii) एनआईए के आवासीय भवन के तहत व्यय की पूर्ति (₹ 0.01 करोड़)।</p> <p>(iv) भारत बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य (₹ 40.00 करोड़), भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य (₹ 60.00 करोड़) और भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य (₹ 80.00 करोड़) संबंधी ओपी टावरों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।</p>	(f)	<p>(i) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment of BSF (₹ 73.40 crore).</p> <p>(ii) meeting additional expenditure under Office Building of National Investigation Agency (NIA) (₹ 31.34 crore) and Central Forensic Science Laboratory (₹ 0.07 crore).</p> <p>(iii) meeting expenditure under Residential Building of NIA (₹ 0.01 crore).</p> <p>(iv) meeting additional expenditure on construction of OP Towers, etc. in respect of Indo-Bangladesh Border Works (₹ 40.00 crore), Indo-Pak Border Works (₹ 60.00 crore) and Indo-China Border Works (₹ 80.00 crore).</p>
<p>अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>		<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.</p>	
(छ)	<p>(i) भारत-तिब्बत सीमा निर्माण कार्य (₹ 63.00 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹ 31.00 करोड़) और असम राइफल्स (₹ 48.85 करोड़) के मोटर वाहनों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।</p> <p>(ii) एसएसबी के मोटर वाहनों (आधुनिकीकरण) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 5.23 करोड़)।</p> <p>(iii) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (₹ 10.00 करोड़) और दिल्ली पुलिस (₹ 237.10 करोड़) की मशीनरी और उपस्कर (सामान्य) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।</p>	(g)	<p>(i) meeting additional expenditure under Motor Vehicles of Indo-Tibetan Border Works (₹ 63.00 crore), Sashastra Seema Bal (SSB) (₹ 31.00 crore) and Assam Rifles (₹ 48.85 crore).</p> <p>(ii) meeting additional expenditure under Motor Vehicles (Modernisation) of SSB (₹ 5.23 crore).</p> <p>(iii) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment (General) of National Security Guard (₹ 10.00 crore) and Delhi Police (₹ 237.10 crore).</p>
<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।</p>		<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.</p>	

मांग संख्या DEMAND NO. 57

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1163.00	...	1163.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1163.01	...	1163.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राजीव गांधी आवास योजना (आरएवाई) के अन्तर्गत कम आय के आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारण्टी फण्ड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) की स्थापना हेतु सरकारी अंशदान जारी करना (₹ 50 करोड़)।
- (ii) शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय नीतियों के समर्थन के लिए डीएफआईडी से तकनीकी सहायता (₹ 2.87 करोड़) की स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता के तहत प्रावधान को बढ़ाना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) releasing of Government contribution for establishment of Credit Risk Guarantee Fund Trust (CRGFT) for Low Income Housing under Rajiv Awas Yojana (RAY) (₹ 50 crore).
- (ii) enhancing the provision under Grants-in-Aid General under the scheme of Technical Assistance from DFID for Support to National Policies for Urban Poverty Eradication (₹ 2.87 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	70559.75	...	70559.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	70559.77	...	70559.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01	(का) ...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01	(खब) ...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 230 करोड़)।	(a)	(i) Grants for creation of capital assets under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' (₹ 230.00 crore).
	(ii) "माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा" के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अनुदान करने के लिए सामान्य सहमत-अनुदान (₹ 0.17 करोड़)।		(ii) Grants-in-aid-General for making the payment to National Council of Educational Research & Training under the scheme 'Inclusive Education for Disabled at Secondary School' (₹ 0.17 crore).
	अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों का ध्यान रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 70.00 करोड़)।	(b)	(i) Grants for creation of capital assets under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' (₹ 70.00 crore).
	(ii) 'माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उनके चलाने हेतु योजना' के अंतर्गत असम राज्य को अनावर्ती अनुदान जारी करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 11.10 करोड़)।		(ii) Grants for creation of capital assets for releasing of Non recurring grant to State of Assam under the 'Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for students of Secondary & Higher Secondary Schools' (₹ 11.10 crore).
	(iii) 'शिक्षा के व्यावसायीकरण' की योजना के अंतर्गत असम में राष्ट्रीय व्यावसायीकरण अर्हता रूपरेखा (एनवीईक्यएफ) को प्रारंभ करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 9.01 करोड़)।		(iii) Grants for creation of capital assets for launching National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) in Assam under the scheme 'Vocationalisation of Education' (₹ 9.01 crore).
	अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों का ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	25275.00	...	25275.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	104.03	...	104.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	25379.03	...	25379.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	52.00 (खb)	52.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
3606 - सहायता सामग्री और उपस्कर	स्वीकृत: 3606 -Aid Materials and Equipment	Voted: ...	52.00 (ङe)	52.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	104.00	104.03

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3606 - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606 - Aid Materials and Equipment	...	(-) 52.00	(-) 52.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) 'उर्दू भाषा के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय परिषद' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.00 करोड़)।
- (2) 'राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.00 करोड़)।
- (3) 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.00 करोड़)।
- (4) 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वेतन अनुदान सहायता (₹ 6.00 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को लेखा में लेने पर एक सांकेतिक पूरक की मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (1) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'National Council for Promotion of Urdu Language' (₹ 12.00 crore).
- (2) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'Rashtriya Ved Vidya Pratisthan' (₹ 20.00 crore).
- (3) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the scheme 'Grants to Rashtriya Sanskrit Sansthan' (₹ 4.00 crore).
- (4) Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the scheme 'Rashtriya Sanskrit Sansthan' (₹ 6.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>(ख) (1) विदेशी सहायता अवयव (₹ 52 करोड़) के रूप में एक बारगी प्रावधान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' को सामान्य सहायता अनुदान। चूंकि यह राशि नकदी व्यय से ली जाएगी, कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(2) 'प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.60 करोड़)।</p> <p>(3) 'प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.60 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को लेखा में लेने पर, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	<p>(b) (1) Grants-in-aid-General for additional requirement (₹ 52 crore) of 'Indira Gandhi National Open University' as one time provision as External Aided Component. Since the amount will be met from additional receipt, there will be no cash outgo.</p> <p>(2) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'Copyright Board' (₹ 0.60 crore).</p> <p>(3) Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the scheme 'Copyright Board' (₹ 0.60 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) (1) 'भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूरक सहायता अनुदान (₹ 6.00 करोड़)।</p> <p>(2) 'भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को अनुदान' योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य पूरक अनुदान (₹ 30.00 करोड़)।</p> <p>(3) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान :- (i) नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना (आईआईएम) (₹ 89.80 करोड़); (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (₹ 18.00 करोड़); (iii) नए योजना तथा वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना हेतु (₹ 25.00 करोड़); तथा (iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 64.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।</p>	<p>(c) (1) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'Indian Institutes of Technology' (₹ 6.00 crore).</p> <p>(2) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement for scholarship under the scheme 'Grants to Indian Institute of Science, Bengaluru' (₹ 30.00 crore).</p> <p>(3) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes:- (i) Setting up of New Indian Institutes of Management (IIMs) (₹ 89.80 crore); (ii) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (₹ 18.00 crore); (iii) Setting up of New Schools of Planning and Architecture (₹ 25.00 crore); and (iv) Indian Institutes of Technology (₹ 64.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) 'केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार' योजना के अंतर्गत चल रही निर्माण गतिविधियों हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।</p>	<p>(d) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement for ongoing construction activities under the scheme 'Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar' (₹ 15.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ङ) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)' जापान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता एजेन्सी (जेआईसीए) द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त वस्तु सहायता को समायोजित करना। चूंकि इसकी पूर्ति "वसूली घटाना" से की जाती है, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(e) 'Indira Gandhi National Open University (IGNOU)' – To accommodate additional commodity assistance provided by Japan International Co-operation Agency (JICA). Since it is matched by "Deduct Recovery", there will be no cash outgo.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 60

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	2193.36	544.00	2737.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	4.71	0.01	4.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2198.10	544.01	2742.11	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	2198.07	544.01	2742.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत: 2220 -Information and Publicity	Voted:	4.60 (का)	0.01 (खb)	4.61
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.10 (गc)	...	0.10
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	4.70	0.01	4.71
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4220 - Capital Outlay on Information and Publicity	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	4.71	0.01	4.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| (क) भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए 'सहायता अनुदान-सामान्य' (₹ 1 करोड़) तथा 'पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹ 3.60 करोड़) के अंतर्गत 4.60 करोड़ की अतिरिक्त अपेक्षा को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के पूँजीगत भाग में उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है। | (a) meeting an additional requirement of ₹ 4.60 crore under 'Grants-in-aid-General' (₹ 1 crore) and 'Grants for creation of Capital Assets' (₹ 3.60 crore) for Indian Institute of Mass Communication. As the savings are available under capital section of the grant, a technical supplementary is sought. |
| (ख) (i) 'राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव/पुरस्कार' योजना के संबंध में ₹ 0.50 करोड़ के व्यय को पूरा करना; तथा (ii) पत्रकार कल्याण के लिए ₹ 0.20 करोड़ के व्यय को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के समान भाग में उपलब्ध हैं, दोनों प्रयोजनों के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। | (b) (i) meeting the expenditure amounting to ₹ 0.50 crore on scheme 'National Students Film Festival/Award'; and (ii) meeting expenditure of ₹ 0.20 crore for Journalist Welfare. As the savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought for both the purposes. |
| (ग) भारतीय जन संचार संस्थान के लिए सहायता अनुदान के लिए ₹ 0.10 करोड़ की अतिरिक्त अपेक्षा को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के पूँजीगत भाग में उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है। | (c) meeting an additional requirement of ₹ 0.10 crore towards 'Grants-in-aid for Indian Institute of Mass Communication. As the savings are available under capital section of the grant, a technical supplementary is sought. |
| (घ) 'राष्ट्रीय प्रेस सेंटर की स्थापना' की योजना के लिए व्यय को (₹ 7.45 करोड़) को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के समान भाग में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। | (d) meeting expenditure on scheme 'Setting up of National Press Centre' (₹ 7.45 crore.) As the savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 61

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 4634.42	8.19	4642.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4634.46	8.20	4642.66
	भारत:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 4634.44	8.20	4642.64
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) "1396 सरकारी आईटीआई संस्थानों का उन्नयन" योजना के तहत प्रबंधन क्षमता निर्माण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन आदि के तहत सहायता अनुदान (₹ 0.35 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड की वेतन, पेंशन आदि, सहायता अनुदान संबंधी आवश्यकताएं (₹ 17.94 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) बीडी कामगार कल्याण निधि/स्वास्थ्य प्रमूख निर्माण कार्य के तहत हेतु नया वस्तु शीर्ष खोलने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General under Management, capacity building, monitoring and evaluation, under the scheme "Upgradation of 1396 Government ITIs (₹ 0.35 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid Salaries, pension etc. requirements of Central Board for Workers Education (CBWE) (₹ 17.94 crore). Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General opening of new object head under Major Works for Beedi Workers Welfare Fund/Health (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 62

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	72.17	...	72.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	5.00	5.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	72.18	5.00	77.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015 - चुनाव	स्वीकृत: 2015 -Elections	Voted: ...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	5.00	(खb) 5.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	5.01	5.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूरे देश में वोटों में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.10 करोड़)।
- (ii) विस्तृत शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कम्प्यूटर मर्दों और उनके अनुरक्षण पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.01 करोड़)।
- (iii) वोटर वेरीफ़ीयेबल पेपर ट्रायल (वीवीपीएटी) मशीन के अनुसंधान और विकास पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान ताकि ईसीआईएल और भेल को दिया जा सके (₹ 2.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) हेतु परिसर के निर्माण हेतु निधियों के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 5.00 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के सरेण्डर को देखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grant-in-aid-General to meet the additional requirement for organising nationwide programme in order to increase voters awareness throughout the country (₹ 2.10 crore).
- (ii) To meet the additional requirement on computer items and maintenance thereof under the detail head Information Technology (₹ 0.01 crore).
- (iii) Grant-in-aid-General to meet the additional requirement on Research and Development of the Voter Verifiable Paper Trail (VVPAT) machines, to be disbursed to ECIL & BEL (₹ 2.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) To meet the additional requirement of funds for construction of Campus for India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) (₹ 5.00 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	<i>भारत:</i>	<i>Charged:</i> 111.75	...	111.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	<i>भारत:</i>	<i>Charged:</i> 9.50	...	9.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	121.25	...	121.25
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014 - न्याय प्रशासन	<i>भारत:</i> 2014 - Administration of Justice	<i>Charged:</i> ...	9.50	9.50

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों तथा कार्मिकों की वेतन संबंधी आवश्यकताओं पर व्यय को पूरा करना।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting the expenditure requirements on Salaries to the Hon'ble Judges and Officials in the Supreme Court of India.

The above expenditure will entail a cash outgo.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3071.86	83.80	3155.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3071.87	83.80	3155.67
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समूह विकास कार्यक्रम और ग्रोथ पोलस के तहत वेतन सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.65 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

additional requirement for Grant-in-aid Salary under MSME Cluster Development Programme and Growth Poles (₹ 0.65 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 66

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	628.76	69.58	698.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	79.46	79.47
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		628.87	149.04	777.91
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	628.77	149.04	777.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	स्वीकृत: 2853 -Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिचय	स्वीकृत: 4853 - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	79.46 (खब)	...	79.46
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	79.47	...	79.47

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निर्देशन एवं प्रशासन हेतु भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण हेतु प्रावधान का संवर्धन (₹ 3 करोड़), अनुसंधान और विकास (₹ 1 करोड़), सर्वे एवं मानचित्र (₹ 3.05 करोड़) और खनिज खनन (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) ओशन गोविंग रिसर्च वेसल की प्राप्ति हेतु चौथी किस्त की अदायगी हेतु भारतीय भूगर्भिक सर्वे की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 79.46 करोड़)। इस प्रयोजनार्थ भारतीय आकस्मिक निधि से ₹ 79.46 करोड़ की अग्रिम स्वीकृत की गई, निधि में शामिल किया जाएगा। इसमें ₹ 79.46 करोड़ नकदी व्यय शामिल होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) augmentation of provision to Geological Survey of India towards direction & administration (₹ 3 crore), Research and Development (₹ 1 crore), Survey & Mapping (Rs 3.05 crore) and Mineral Exploration (₹ 1.50 crore). As savings area available within same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) additional requirement (Rs 79.46 crore) of Geological Survey of India towards payment of IVth installment for acquisition of Ocean Going Research Vessel. An advance of ₹ 79.46 crore was sanctioned from Contingency Fund of India for this purpose, which will be recouped to the Fund. This will entail a cash outgo of ₹ 79.46 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 68

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1346.22	92.00	1438.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	110.26	...	110.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1456.48	92.00	1548.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted: 110.26	...	110.26

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810 - New and Renewable Energy	(-) 110.26	...	(-) 110.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आफ-ग्रिड/वितरित तथा विकेन्द्रीकृत नवीकरण विद्युत के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान - (क) सौर क्रांति सिंचाई योजना (₹ 3.56 करोड़) के अंतर्गत बिहार के छः जिलों के गाँवों में 560 सौर फोटोवोल्टैक वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करने, (ख) नाबार्ड (₹ 50 करोड़) के जरिए सौर फोटोवोल्टैक लाइटें तथा लघु क्षमता के सौर फोटोवोल्टैक सिस्टम स्थापित करने, (ग) पूरे भारत में विभिन्न डीजल उप-भोक्ता क्षेत्रों में 500 केडब्ल्यूपी आकार तक के सौर फोटोवोल्टैक विद्युत संयंत्र स्थापित करने (₹ 49.50 करोड़) तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विभिन्न भारतीय रेलवे स्थानों पर कुल 4 एमडब्ल्यूपी क्षमता के सौर फोटोवोल्टैक विद्युत संयंत्रों को स्थापित (₹ 7.20 करोड़) करने के लिए सौर ऊर्जा। क्योंकि व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वहन किया जाएगा, इसलिए तकनीकी अनुपकरण माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General under Off-grid/distributed and decentralized renewable power - Solar Power for (a) to install 560 numbers of Solar Photovoltaic water pumping systems in the villages in 6 districts of Bihar under Saurkranti Sichai Yojana (₹ 3.56 crore), (b) installation of Solar Photovoltaic lights and small capacity Solar Photovoltaic systems through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (₹ 50 crore), (c) installation of Solar Photovoltaic power plants upto size of 500 KWp in diferent diesel consuming sectors throughout India (₹ 49.50 crore), and (d) installation of Solar Photovoltaic power plants aggregating to 4 MWp capacity at diferent Indian Railway Locations under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (₹ 7.20 crore). As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 18.85	5.00	23.85
	स्वीकृत:	Voted: 758.15	112.67	870.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 1.87	...	1.87
	स्वीकृत:	Voted: 30.00	...	30.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	808.87	117.67	926.54
	भारित:	Charged: 20.72	5.00	25.72
	स्वीकृत:	Voted: 788.15	112.67	900.82

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051 - लोक सेवा आयोग	स्वीकृत: 2051 -Public Service Commission	Voted: ...	30.00 (का)	30.00
2055 - पुलिस	भारित: 2055 - Police	Charged: ...	1.00 (खb)	1.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	भारित: 2070 - Other Administrative Services	Charged: ...	0.87 (गc)	0.87
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	31.87	31.87
	भारित:	Charged: ...	1.87	1.87
	स्वीकृत:	Voted: ...	30.00	30.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) कर्मचारी चयन आयोग की व्यावसायिक सेवाओं के तहत विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु व्यय की पूर्ति।
- (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विशेष न्यायालय आदेश के अनुसार ट्रैप मनी की वापसी।
- (ग) केन्द्रीय सर्तकता आयोग की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting expenditure under Professional Services of Staff Selection Commission for conducting various examinations.
- (b) refunding the trap money as per Central Bureau of Investigation Special Court's order.
- (c) meeting establishment related expenditure of Central Vigilance Commission.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 73

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	43758.85	1.00	43759.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	28500.00	...	28500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	72258.85	1.00	72259.85
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत: 2802 -Petroleum	Voted: ...	28500.00	28500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) तेल विपणन कम्पनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के संबंध में अनुमान से कम वसूलियों संबंधी क्षतिपूर्ति प्रदान करना (₹ 28500 करोड़)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ii) केरोसीन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नकद सव्सिडी के सीधे अंतरण हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना (₹ 10 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (i) providing compensation (₹ 28500 crore) towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products. This will entail net cash outgo.
- (ii) providing incentive to States/ Union Territories for direct transfer of cash subsidy on Public Distribution System of Kerosene (₹ 10 crore). As the savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 76 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
<i>I.विनियोग:</i>	<i>I. ORIGINAL APPROPRIATION:</i>			
	<i>भारित:</i>	<i>Charged:</i>		
		30.24	...	30.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	<i>भारित:</i>	<i>Charged:</i>		
		0.96	...	0.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	31.20	...	31.20
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	<i>भारित:</i> 2012 - President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	<i>Charged:</i>	...	0.96
				0.96

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 0.53 करोड़) तथा कार्यालय व्यय और अन्य प्रभारों आदि (₹ 0.43 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय जरूरत को पूरा करने के लिए।

उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting the additional expenditure requirements towards 'Salary' (₹ 0.53 crore) and towards office expenses and other charges etc . (₹ 0.43 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 77

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.87	...	0.87
	स्वीकृत:	Voted:	434.13	...	434.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	38.40	...	38.40
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		473.40	...	473.40
	भारित:	Charged:	0.87	...	0.87
	स्वीकृत:	Voted:	472.53	...	472.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	स्वीकृत: 2011 -Parliament/State/Union Territory Legislatures	Voted:	...	38.40	38.40

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संसद सदस्यों के वेतन (₹ 25.00 करोड़), यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान (₹ 10.00 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.90 करोड़) तथा संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों के लिए विदेश यात्रा व्यय (₹ 2.50 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting the additional expenditure towards under 'Salary' (₹ 25.00 crore), payment of TA/DA to MPs (₹ 10.00 crore), other administrative expenses (₹ 0.90 crore) and Foreign Travel Expenses for Parliamentary Delegations (₹ 2.50 crore).

The above expenditure will entail cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 81

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	7.50
	स्वीकृत:	Voted:	22495.36	24643.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			47138.85
	भारित:	Charged:	...	23.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	22495.36	24673.99	47169.35
	भारित:	Charged:	...	30.50
	स्वीकृत:	Voted:	22495.36	24643.49
				47138.85
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	भारित: 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Charged:	...	23.00
				23.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बी.आर.डी.बी. द्वारा प्रमुख कार्यों के लिए एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अनुबंध करार के विरुद्ध जम्मू-कश्मीर, जम्मू उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अधिनिर्णय सं. 41 और 42/2008 के तहत भुगतान के लिए ₹ 23.00 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की पूर्ति हेतु। अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत राशि के सरेण्डर को ध्यान में रखते हुए तथा अनुदान के उसी भाग में बचतों के सदुपयोग के पश्चात्, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 23.00 crore on Major Works by BRDB towards payment against Award No.41 & 42/2008 submitted by Sole Arbitrator against Contract Agreement before Hon'ble High Court of Jammu and Kashmir, Jammu . Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 82

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	129923.02	...	129923.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	129923.04	...	129923.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted: 0.01 (क)a)	...	0.01
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: 0.01 (ख)b)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए) (₹ 25 करोड़) को अनुदान संबंधी व्यय को पूरा करना; और	(a)	(i) meeting the expenditure of the grant to Institute of Rural Management Anand (IRMA)(₹ 25 crore); and
	(ii) बी.पी.एल. सर्वेक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 100 करोड़)।	(ii)	meeting additional requirement for BPL Survey (₹ 100 crore).
(ख)	(i) एडीबी समर्थित परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाओं के प्रति होने वाले व्यय को पूरा करना(₹ 0.60 करोड़); तथा	(b)	(i) meeting the expenditure towards consultancy services under ADB Assisted Projects (₹ 0.60 crore); and
	(ii) विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के प्रति होने वाले व्यय को पूरा करना (₹ 8.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।	(ii)	meeting expenditure towards training and skill development under World Bank Assisted Projects (₹ 8.25 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारत:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	2842.87	39.97	2882.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2842.90	39.97	2882.87
	भारत:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	2842.88	39.97	2882.85
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (a) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1) अन्य देशों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग (₹ 2 करोड़), (2) भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹ 3 करोड़) (3) भारत-अमरीकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच (₹ 0.30 करोड़)।
- (b) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उधमिता विकास (₹ 1.55 करोड़), (2) अनुसंधान एवं विकास सहायता (₹ 9.70 करोड़), (3) राष्ट्रीय नैनोविज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिक मिशन (₹ 16 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) Grants-in-aid General under the scheme of (1) S&T Cooperation with Other Countries (₹ 2 crore), (2) Indo-German Science & Technology Centre (₹ 3 crore), (3) Indo-US Science & Technology Forum (₹ 0.30 crore).
- (b) Grants for creation of capital assets under the scheme of (1) S&T Entrepreneurship Development (₹ 1.55 crore), (2) R&D Support (₹ 9.70 crore), (3) National Mission on Nano Science & Nano Technology (₹ 16 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1403.41	573.08	1976.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1403.42	573.08	1976.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 - Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted:	...	0.01
				0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मुख्यतः भारत के ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए बांग्लादेश सरकार प्रोटोकाल अन्तर्देशीय जलमार्गों के अनुरक्षण हेतु बांग्लादेश सरकार के सामान्य सहायता अनुदान के (₹ 5.60 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure on Grants-in-Aid-General (₹ 5.60 crore) to the Government of Bangladesh for maintenance of the protocol inland waterway routes by the Government of Bangladesh for catering primarily to Indian transit traffic.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5708.30	300.00	6008.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5708.31	300.00	6008.31
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए बालकों और बालिकाओं के छात्रावासों की योजना में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान जारी करना (₹ 6.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

releasing additional Grants for creation of capital assets to the Central Universities in the scheme of Boys and Girls Hostels for Other Backward Classes (₹ 6.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 90

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत:	Charged: 0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted: 3575.93	3138.21	6714.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3576.43	3138.62	6715.05
	भारत:	Charged: 0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted: 3575.93	3138.22	6714.15
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
5252 - उपग्रह प्रणाली पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5252 - Capital Outlay on Satellite System	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इनसैट-3डी लांच सेवाएं (₹ 249.25 करोड़) और (ख) जीसैट-7 लांच सेवाएं (₹ 340.80 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को हिसाब में लेते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure for (a) INSAT-3D Launch Services (₹ 249.25 crore) and (b) GSAT-7 Launch Services (₹ 340.80 crore).

Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4926.34	17.20	4943.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4926.35	17.20	4943.55
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दो राज्यों आंध्र प्रदेश (₹ 48.00 करोड़) और ओडीशा (₹ 24.00 करोड़) में छठी आर्थिक जनगणना कराने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

meeting the requirement towards conducting Sixth Economic Census in two States viz. Andhra Pradesh (₹ 48.00 crore) and Odisha (₹ 24.00 crore).

Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	121.89	...	121.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	125.68	...	125.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	247.57	...	247.57
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: ...	125.68	125.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बिसरा स्टोन लाइम क. लि., बर्ड ग्रुप आफ कंपनीस की एक आनुषंगिक कंपनी को अनुदान सहायता (₹ 149.45 करोड़) ताकि कंपनी की अनुमोदित पुनर्गठन योजना के अनुसार आयकर दायित्वों को पूरा किया जा सके। अनुदान के उसी भाग में ₹ 23.77 करोड़ की बचतों को देखते हुए उपर्युक्त, में ₹ 125.68 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid (₹ 149.45 crore) to Bisra Stone Lime Company Ltd. under the Bird Group of Companies to discharge income tax liabilities, as per approved restructuring plan of the company. Taking into account saving of ₹ 23.77 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of Rs 125.68 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	7775.63	60.78	7836.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	3.00	3.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7775.66	63.78	7839.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: ...	0.01 (कa)	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (खb)	0.01 (गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted: 3.00 (घd)	...	3.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 3.01	0.02	3.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को वेतन सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (₹ 17.17 करोड़)। चूँकि अनुदानों के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ख) (i) तकनीकी कपड़ा उद्योग के डाटाबेस के सुदृढीकरण हेतु व्यय की पूर्ति (₹ 2.19 करोड़), और
(ii) वचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 20 करोड़)। चूँकि अनुदानों के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय कपास संस्थान और कपास सलाहकार समिति को अंशदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (₹ 0.91 करोड़)। चूँकि अनुदानों के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(घ) बंगलुरु और जम्मू व कश्मीर में हस्तकला भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3 करोड़)। अनुदान के राजस्व/पूंजी अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional requirement for "Grants-in-aid Salaries" to Central Silk Board (₹ 17.17 crore). As savings are available under the same section of Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) meeting the expenditure for Strengthening of Database of Technical Textiles Industry (₹ 2.19 crore); and
(ii) additional requirement as "Grants-in-aid General" under the scheme Human Resource Development to meet the committed liability (₹ 20 crore). As savings are available under the same section of Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting the additional requirement for Contributions to International Institute of Cotton and Cotton Advisory Committee (₹ 0.91 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) additional requirement of (₹ 3 crore) for Construction of Building for Handicrafts Bhawan at Bengaluru and Jammu & Kashmir. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 96

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96-102 देखिये)

(See page 96-102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	<i>भारित:</i>	<i>Charged:</i>	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	2352.91	739.25	3092.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	76.72	...	76.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2429.64	739.25	3168.89
	<i>भारित:</i>	<i>Charged:</i>	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	2429.63	739.25	3168.88
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted:	76.72	...	76.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सुनामी के कारण डूब क्षेत्र में आई भूमि से प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान संबंधी व्यय को पूरा करना।

अनुदान के पूंजी भाग में सरेण्डर की गई उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on payment of compensation to Tsunami affected farmers whose land had got submerged.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 97

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103-108 देखिये)

(See page 103-108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 18.85	0.25	19.10
	स्वीकृत:	Voted: 2486.57	410.34	2896.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.06	0.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2505.45	410.65	2916.10
	भारित:	Charged: 18.85	0.25	19.10
	स्वीकृत:	Voted: 2486.60	410.40	2897.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution			
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत: 3456 - Civil Supplies	Voted: 0.01	(का) ...	0.01
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 - Police	Voted: 0.01	(खब) ...	0.01
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism			
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 - Tourism	Voted: 0.01	(गc) ...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.03	...	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
पर्यावरण और वन मंत्रालय	Ministry of Environment and Forests			
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	Voted: 0.01	(घd) ...	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 0.01	(डेe) ...	0.01
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: 0.01	(चf) ...	0.01
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education			
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted: 0.01	(छg) ...	0.01
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Ministry of Labour and Employment			
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted: 0.01	(जh) ...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development			
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted: 0.01	(झi) ...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.06	...	0.06
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.09	...	0.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) गरीबी की सीमा रेखा से निचले परिवारों को खायान्न उपलब्ध कराने के व्यय को पूरा करने हेतु अन्य प्रभागों के अंतर्गत (₹ 10.80 करोड़)।
- (ख) बैंकों की सुरक्षा ड्यूटी हेतु बलों को तैनात करने हेतु पंजाब पुलिस की लम्बित देनदारियों को निपटाने हेतु अन्य प्रभागों के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु (₹ 10.00 करोड़)।
- (ग) चण्डीगढ़ होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग तकनीक संस्थान, चण्डीगढ़ को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 2.00 करोड़)।
- (घ) वन विभाग द्वारा मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण हेतु अधिग्रहीत भूमि के भूमि स्वामियों को मुआवजे का भुगतान (₹ 34.50 करोड़)।
- (ङ) (i) सरकारी चिकित्सा कॉलेज तथा अस्पताल, चण्डीगढ़ में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु (₹ 4.54 करोड़)।
(ii) सरकारी बहु विशेषज्ञ अस्पताल, चण्डीगढ़ में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु (₹ 2.29 करोड़)।
- (च) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु (₹ 10.50 करोड़)।
- (छ) चण्डीगढ़ में विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु (₹ 0.69 करोड़)।
- (ज) केन्द्रीय शिल्प संस्थान तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को निधियां उपलब्ध कराना (₹ 0.19 करोड़)।
- (झ) पैदल यात्री पुलों तथा यात्री स्वागत केन्द्र, चण्डीगढ़ का निर्माण (₹ 1.86 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure under Other Charges for providing the food grains to Below Poverty Line families (₹ 10.80 crore).
- (b) meeting expenditure under Other Charges for clearing the pending liability of Punjab Police for deployment of forces for security duty of Banks (₹ 10.00 crore).
- (c) providing Grants-in-aid-General to Chandigarh Institute of Hotel Management and Catering Technology, Chandigarh (₹ 2.00 crore).
- (d) payment of compensation to land owners for the land acquired for Soil and Moisture Conservation by the forest department (₹ 34.50 crore).
- (e) (i) completing the ongoing construction work of Government Medical College and Hospital, Chandigarh (₹ 4.54 crore).
(ii) completing the ongoing construction work of Government Multi Specialty Hospital, Chandigarh (₹ 2.29 crore).
- (f) completing the ongoing construction work of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh (₹ 10.50 crore).
- (g) completing the ongoing construction work in respect of various Primary Schools in Chandigarh (₹ 0.69 crore).
- (h) providing funds to Central Crafts Institute and Industrial Training Institute (₹ 0.19 crore).
- (i) construction of pedestrian bridges and Tourist Reception Centre, Chandigarh (₹ 1.86 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	38.48	22.40	60.88
	स्वीकृत:	Voted:	1321.72	6346.82	7668.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1360.21	6369.22	7729.43
	भारित:	Charged:	38.48	22.40	60.88
	स्वीकृत:	Voted:	1321.73	6346.82	7668.55
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) सीवरेज सिस्टम विकास/सुधार हेतु (₹ 2.00 करोड़) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का वर्धन।
- (ii) शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (₹ 2.00 करोड़)के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का वर्धन।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) augmenting Grants for Creation of Capital Assets for "Development/Improvement of Sewerage System" (₹ 2.00 crore).
- (ii) augmenting Grants for Creation of Capital Assets for "Urban Infrastructure Development Project" (₹ 2.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 102

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिये)

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	<i>भारित:</i>	<i>Charged:</i>	1.00	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	1371.55	541.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1372.55	542.88	1915.43
	<i>भारित:</i>	<i>Charged:</i>	1.00	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	1371.55	541.88
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य सभा के प्रमुख कार्य (₹ 1 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

major works of Rajya Sabha (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिये)

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	4.00
	स्वीकृत:	Voted:	1937.30	126.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1937.31	130.30	2067.61
	भारित:	Charged:	...	4.00
	स्वीकृत:	Voted:	1937.31	126.30
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत: 2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन के अंतर्गत 2006 से पहले के मामलों के संशोधन हेतु नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक भुगतान हेतु व्यय को पूरा करना (₹ 0.018)करोड़, चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतएव सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for payment of remuneration to consultants appointed for revision of pre-2006 cases under Central Water & Power Research Station(₹ 0.018 crore). As savings are available in the same Section of Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 105

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 देखिये)

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	18584.00	...	18584.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18584.02	...	18584.02	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क)	(i)	'महिला स्थिति' पर नवगठित उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 6.25 करोड़)।	(a)	(i)	To meet the additional requirement for salary and allowances of the Members of newly constituted High Level Committee on 'Status of Women' (₹ 6.25 crore).
	(ii)	'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन' की स्थिति के अन्तर्गत प्रतिबंध दायित्वों हेतु अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करना (₹ 7.35 करोड़)।		(ii)	To meet the additional requirement for committed liabilities under the scheme of 'National Mission for Empowerment of Women' (₹ 7.35 crore).
	(iii)	(1) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान: 'कामगार महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण हेतु' (₹ 20.00 करोड़) तथा जसोला, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन निर्माण हेतु (₹ 1.27 करोड़)।		(iii)	(1) Grants for creation of capital assets: For construction of 'Hostels of Working Women' (₹ 20.00 crore) and for construction of office building of National Commission for Women at Jasola, New Delhi (₹ 1.27 crore).
	(2)	वेतन अनुदान सहायता: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (₹ 1.70 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।		(2)	Grants-in-aid-Salaries: For Central Social Welfare Board (₹ 1.70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	वेतन सहायता अनुदान: 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.55 करोड़)।	(b)	(i)	Grants-in-aid-Salaries: To meet the additional requirement of 'National Commission for Women' (₹ 0.55 crore).
	(ii)	सामान्य अनुदान सहायता: 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.19 करोड़)।		(ii)	Grants-in-aid-General: To meet the additional requirement of 'National Commission for Women' (₹ 0.19 crore).
	(iii)	वेतन सहायता अनुदान: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।		(iii)	Grants-in-aid-Salaries: To meet the additional requirement of Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 2.00 crore).
	(iv)	वेतन सहायता अनुदान: 'राष्ट्रीय लोक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान' (एन.आई.पी.सी.सी.डी) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.87 करोड़)।		(iv)	Grants-in-aid-Salaries: To meet the additional requirement of 'National Institute of Public Co-operation and Child Development' (NIPCCD) (₹ 0.87 crore).
	(v)	कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) विधेयक (₹ 2.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।		(v)	To meet the additional requirement for implementation of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Bill (₹ 2.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 106

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1150.70	1.30	1152.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1150.73	1.30	1152.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 -Sports and Youth Services	Voted: 0.01 (क)	0.01 (ख)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) विकलांगों के में खेलों के प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत सामान्य-सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।
(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.40 करोड़)
- (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़)
- (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राज्य सम्पर्क अधिकारियों को वेतन-सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़)
अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, पूरक सांकेतिक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid-General under the scheme promotion of Sports amongst disable (₹ 2.00 crore)
(ii) Grants-in-aid-Salaries to regional centres under National Service Scheme (₹ 0.40 crore)
- (b) Grants-in-aid-Salaries to Regional Centres under National Service Scheme (₹ 0.10 crore)
- (c) Grants-in-aid-Salaries to State Liaison Officers under 'National Service Scheme' (₹ 1.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2011-12 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूलबजट के 25% से अधिक अथवा 5 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded 25% of Original Budget or Rs.5 crore, whichever is more during 2011-12.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2011-2012 Budget Estimates 2011-2012	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि मंत्रालय Ministry of Agriculture	2401-फसल कार्य			
		109- विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण			दावों की प्रतिपूर्ति
		25- कृषि विस्तार को मास मीडिया समर्थन			
		250026-विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार			
		2401-Crop Husbandry			
		109- Extension & Farmers' Training	30.28	17.07	Reimbursement of claims.
		25- Mass Media support to Agricultural Extension			
		250026-Advertising & Publicity			
		800- अन्य व्यय			प्रचार-प्रसार अभियान चलाने हेतु
		35- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			
		350026-विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार			
		800- Other Expenditure	1.00	49.00	For undertaking publicity campaign.
		35- Rashtriya Krishi Vikas Yojna			
		350026-Advertising & Publicity			
		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र			एन ई एस के लिए और अधिक जरूरत
		240- फसल कार्य-विस्तार तथा किसान प्रशिक्षण			
		03- कृषि विस्तार को मास मीडिया का समर्थन			
		030026-विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार			
		2552-North Eastern Areas			
		240- Crop Husbandry-Extension & Farmers' Training	4.0092	13.7708	More requirement for NES
		03- Mass Media support to Agricultural Extension			
		030026-Advertising & Publicity			
		241- फसल कार्य-कृषि आर्थिकी एवं आंकडा			एन ई एस के लिए निधियां जारी करने हेतु
		02- कृषि आंकडा संबंधी सुधार			
		020031-सामान्य सहायता अनुदान			
		241- Crop Husbandry-Agricultural Economics & Statistics	0.00	7.00	For release of funds for NES
		02- Improvement of Agricultural Statistics			
		020031-Grants-in-aid General			

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान			राज्यों से और अधिक प्रस्ताव
		03- केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान			
		451- फसल कार्य-बीज			
		09- बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सद्वृद्धीकरण			
		090031-सहायता अनुदान			
		3601-Grants-in-aid to State Government			
		03- Grants for Central Plan Scheme	60.50	17.93	More proposals from States
		451- Crop Husbandry-Seeds			
		09- Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds.			
		090031-Grants-in-aid			
2.	उर्वरक विभाग	एम एच 2401- फसल देखभाल स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक हेतु उर्वरक बाण्ड बिक्री के कारण हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति (रु. 5.49 करोड़) तथा आयातित विनियंत्रित उर्वरकों के लिए उर्वरक बाण्डों की बिक्री के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति (रु. 117.05 करोड़)			आंकड़ों के कम्पनीवार/बांड वार समाधान के पश्चात् दूसरी पूरक मांग के अन्तर्गत आबंटित निधियां पुनः वितरित कर दी गई है, जो इस शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटन की स्थितियां सृजित करती है।
	Department of Fertilisers	MH 2401 - Crop Husbandry Compensation for loss on account of sale of fertilizer bonds for indigenous decontrolled fertilizers (Rs. 5.49 crore) and Compensation for loss on account of sale of fertilizer bonds for imported decontrolled fertilizers (Rs. 117.05 crore)	...	122.54	After reconciliation of the company-wise/bond wise figures, funds allocated under 2nd Supplementary have been re-distributed which makes additional allocation under this head.
3.	संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture	एम.एच-2251 2251.00.090.07.03.28- व्यवसायिक सेवाएं MH-2251 2251.00.090.07.03.28- Professional Service	0.40	0.40	मंत्रालय में विभिन्न अनुभागों में नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान हेतु For payment to Consultants appointed in the various Sections in the Ministry
		2251.00.090.07.03.12- विदेश यात्रा खर्चें			गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150 वीं वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर विभिन्न देशों में आयोजित प्रदर्शनी के सम्बंध में मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे के लिए
		2251.00.090.07.03.12- Foreign Travel Expenses	0.50	0.25	For visiting abroad Ministry's delegation in connection with exhibitions held in various countries in the context of celebration of 150th Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		एम.एच-2205 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 2205.00.102.03.04.31- सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 National School of Drama - 2205.00.102.03.04.31 Grants in-aid General	7.70	2.00	वेतन/भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आदि के भुगतान हेतु For payment of salary/allowances, retirement benefits, pension etc.
		एम.एच-2205 केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी 2205.00.102.03.05.31- सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi 2205.00.102.03.05.31- Grants in-aid General	7.60	2.24	इसके कर्मचारियों के वेतन, आदि के आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए To meet the recurring expenditure towards payment of salary, etc to its employees.
		एम.एच-2205 जी.आर.एल मठवासी विद्यालय बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश सामान्य सहायता अनुदान 2205.00.104.01.03.13 MH-2205 GRL Monastic School, Bomdila, Arunachal Pradesh- 2205.00.102.03.16.31 - Grants in-aid General	0.00	0.50	वेतन, दूरभाष, विद्युत बिलों तथा अन्य आकस्मिक खर्चों के आवर्ती व्ययों को पूरा करने हेतु To meet the recurring expenditure towards payment of Salary, telephone, electricity bills and other contingency expenses.
		एम.एच-2205 सांस्कृतिक संसाधन एंव 2205.00.102.03.08.35- पूँजी प्रतिष्ठान केन्द्र, नई दिल्ली के सृजन के लिए अनुदान MH-2205 Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi. - 2205.00.102.03.08.35 - Grants for Creation of Capital Assets	0.20	0.30	क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में परियोजना के निर्माण हेतु। For building project at Regional Centre at Hyderabad.
		एम.एच-2205 कला में विख्यात व्यक्तियों को सहायता 2205.00.102.04.06.50 - अन्य प्रभार MH-2205 Assistance to Persons distinguished in arts - 2205.00.102.04.06.50- Other Charges	6.00	3.50	विज्ञान कलाकारों के लगभग 3000 लंबित आवेदनों के भुगतान हेतु। For making payments to distinguished artists for about 3000 pending applications.
		एम.एच-2205 शताब्दी महोत्सव व वर्षगांठ 2205.00.102.04.12.20 अन्य प्रशासनिक खर्च			विचार गोष्ठी आयोजित करने तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय द्वारा एक प्रदर्शनी तथा पुस्तकालय सांस्कृतिक मंत्रालय के दिल्ली आधारित संस्थाओं समानरूप कार्यक्रमों के निधियन के लिए।

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		MH-2205 Centenaries and Anniversaries - 2205.00.102.04.12.20 - Other Administrative expenses	0.30	0.20	For organizing symposium and an exhibition by Nehru Memorial Museum and Library and funding of similar programme of Delhi based organizations of Ministry of Culture.
		एम.एच-2205 सांस्कृतिक संस्था योजना का विकास 2205.00.102.04.18.31 सामान्य सहायता अनुदान			उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 2011-12 के अर्न्तगत गतिविधियों को बढ़ाने की योजना के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की बढ़ी हुई संख्या के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
		MH-2205 Development of Cultural organization scheme 2205.00.102.04.18.31 - Grants in aid General	4.85	3.00	To meet the additional expenditure on increased number of proposals received from voluntary organizations under the scheme during and towards enhancement of activities under North Eastern Region 2011.12.
		एम.एच-2205 नव नालंदा महाविहार और ह्येन त्सांग मेमोरियल हॉल 2205.00.102.04.20.31 - सामान्य सहायता अनुदान			4 प्रोफेसर की भर्ती के कारण प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने हेतु
		MH-2205 Nava Nalanda Mahavihara and Huen T Sang Memorial Hall 2205.00.102.04.20.31 - Grants in aid General	1.80	0.70	To meet the committed expenditure due to recruitment of 4 Professors.
		एम.एच.-2205 राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि 2205.00.102.04.38.31 सामान्य सहायता अनुदान			कार्यक्रम में सहभागियों के पाठ्यक्रम शुल्क व्यय को पूरा करने हेतु(नेतृत्व, प्रशिक्षण (एल.टी.पी.) ब्रिटिश संग्रहालय के साथ सहयोग में आयोजित होने के कारण)।
		MH-2205 National Cultural Fund - 2205.00.102.04.38.31 Grants-in-aid General	0.01	0.45	For meeting expenditure course fee of participants in the programme (Leadership, training (LTP) being organized in collaboration with British Museum.
		एम.एच.-2205 भारतीय संस्कृति तथा धरोहर के बारे में प्रोत्साहन तथा जागरुकता का प्रसार 2205.00.102.04.53.31 सामान्य सहायता-अनुदान			योजना के अर्न्तगत कर्मचारियों के घरेलू दौरे के कारण
		MH-2205 Promotion and Dissemination of Awareness about Indian Culture and Heritage- 2205.00.102.04.53.31	0.01	0.05	On account of domestic tours by the officials under the Scheme.
		एम.एच.-2205 भारतीय साहित्य को विदेश में प्रोत्साहन की योजना 2205.00.102.04.64.11 घरेलू यात्रा व्यय			वस्तु शीर्ष "घरेलू यात्रा व्यय" के अर्न्तगत घरेलू यात्राओं के व्यय को पूरा करने हेतु। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू।

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		MH-2205 Scheme for Promotion of Indian Literature Abroad - 2205.00.102.04.64.11 - Domestic Travel Expenses	0.01	0.04	In order to meet the expenditure towards domestic tours under the object Head "Domestic Travel Expenses". Opened during the Financial year 2011-12.
		2205.00.102.04.64.12 विदेश यात्रा व्यय			वित्तीय वर्ष 2011-12 दौरान चालू वस्तुशीर्ष "विदेश यात्रा व्यय" के अन्तर्गत विज्ञापन संबंधी गतिविधियों के लिए पुस्तक मेला के कारण यात्रा व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.12 - Foreign Travel Expenses	0.00	0.02	In order to meet the travel expenditure on account of book fairs for promotional activities under the object Head "Foreign Travel expenses" opened during the financial year 2011-12.
		2205.00.102.04.64.16 प्रकाशन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्तु शीर्ष "प्रकाशन" के अन्तर्गत अनुवाद, सम्पादन, भाषा विधीक्षा रचना, प्ररूपण, अधिकार, आदि सहित व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.16 - Publication	0.00	0.01	In order to meet expenditure included translation, editing, language vetting composing, formatting, rights, etc. under object Head "Publication" opened during the financial year 2011-12.
		2205.00.102.04.64.20 प्रशासनिक व्यय			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्तु शीर्ष "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अन्तर्गत कार्यालय व्यय, सुझाव समिति बैठकों पुस्तकों का क्रय, उपकरण, आदि के व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.20- Other Administrative Expenses	0.00	0.01	In order to meet expenditure towards office expenses, advisory committee meetings, purchasing of books, equipments, etc. under the object Head "Other Administrative Expenses" opened during the financial year 2011-12
		2205.00.102.04.64.26 विज्ञापन तथा प्रचार			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्तु शीर्ष "विज्ञापन तथा प्रचार" के अन्तर्गत वेबसाइट का रूपांकन और प्रक्षेपण, प्रतीक चिन्ह, सूची तथा अन्य विज्ञापन-संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.26 - Advertising and Publicity	0.00	0.02	In order to meet expenditure with respect to designing and launching of website, logo, catalogue and other promotional activities under the object Head "Advertising and Publicity" opened during the financial year 2011-12.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2205.00.102.04.64.28 व्यवसायिक व्यय			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्तु शीर्ष "व्यवसायिक व्यय" के अन्तर्गत परियोजना परामर्शदाता, सहायक आदि के लिए वेतन भुगतान हेतु व्यय को पूरा करने हेतु
		2205.00.102.04.64.28 - Professional Expenses	0.00	0.06	In order to meet expenditure towards payment of salaries for Project Consultant, Assistant, etc. under the object Head "Professional Expenses" opened during the financial year 2011-12.
		एम.एच.-2205 गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ समारोह 2205.00.102.04.67.20 - कार्यालय प्रशासनिक व्यय MH-2205 Celebration of 150th Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore - 2205.00.102.04.67.20 - Office Administrative Expenses	0.02	2.50	गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150 वीं वर्षगांठ समारोह से सम्बंधित कार्य के लिए विदेश मंत्रालय को निधि उपलब्ध कराने हेतु To provide funds to Ministry of external Affairs for works related to Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.
		एम.एच.-2205 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली 2205.00.102.06.02.06 - चिकित्सा व्यय MH-2205 National Gallery of Modern Arts, New Delhi 2205.00.102.06.02.06 - Medical Expenses	0.01	0.06	चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए For reimbursement of Medical Bills.
		2205.00.102.06.02.12 - विदेश यात्रा व्यय 2205.00.102.06.02.12 - Foreign Travel Expenses	0.08	0.60	रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म वर्षगांठ के समारोह के संबंध में विदेश में टैगोर प्रदर्शनी आयोजित करना। For holding Tagore Exhibitions abroad in connection with Celebration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore.
		2205.00.102.06.02.20 - अन्य प्रशा. व्यय 2205.00.102.06.02.20 - Other Admin. Expenses एम.एच.-2205 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र 2205.00.796.10.00.31 सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 Zonal Culture Centers 2205.00.796.10.00.31 Grants-in-aid General	0.00	1.00	प्रदर्शनी आयोजित करने, एनडीएससी बिलों का भुगतान आदि के कारण व्यय को पूरा करने हेतु। To meet the Expenditure on account of holding exhibitions, payment of NDMC Bills. etc.
		2205.00.796.10.00.31 सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 Zonal Culture Centers 2205.00.796.10.00.31 Grants-in-aid General	1.50	0.40	देशभर में जनजाति सांस्कृति गतिविधियां कार्यक्रम योजनाएं प्रारंभ करना। To undertake various Cultural activities programmes schemes for the development of Tribal Culture throughout the country.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	एम.एच.-2205 विश्व धरोहर निधि को अंशदान 2205.00.798.01.00.32 अंशदान -				विश्व धरोहर समिति धरोहर निधि में भारत का अंशदान करना। कुल 0.50 करोड़ रुपये पुनर्विनियोजित किए गए, जिसमें से 0.46 करोड़ रुपये पूरक अनुदान, 2011-12 में प्रतिवेदित किए गए।
	MH-2205 Contribution to World Heritage Fund 2205.00.798.01.00.32 - Contributions -		0.08	0.04	To make India's contribution towards World Heritage Committee Heritage Fund. Total amount Rs. 0.50 crore was re-appropriated, out of which Rs. 0.46 crore was reported in 3rd Batch of Supplementary Grant, 2011-12.
	एम.एच.-2205 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2205.00.106.02.03.28 व्यवसायिक व्यय				सुरक्षा उपायों जैसे सी.आई.एस.एफ./सशस्त्र पुलिस/होम गार्ड, आदि तथा 2011-12 के दौरान ए.एस.आई द्वारा विभिन्न संरक्षित स्मारक/स्थान/संग्रहालय पर तैनात निजी सुरक्षा गार्ड, आदि के बकाया वेतन बिलों के भुगतान हेतु।
	MH-2205 Archaeological Survey of India 2205.00.106.02.03.28 - Professional Expenses-		20.00	4.35	To clear pending bills of salaries and other expenses on account of security measures like additional development of CISF/Armed Police/Home Guard etc and private security guards etc. posted at various protected monuments/sites/museums by ASI during 2011-12.
	2205.00.106.01.03.16 प्रकाशन				विश्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/संग्रहालय के स्मारकों में समान प्रवेश टिकट के विशेष रूप के मुद्रण हेतु।
	2205.00.106.01.03.16 - Publication 2205.00.106.02.00.50 अन्य प्रभार		0.05	0.05	For printing of specialty designed common entry ticket for monuments of world Heritage/National Importance/Museums.
	2205.00.106.02.00.50 - Other Charges		1.00	0.75	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अर्न्तगत संरक्षित स्मारकों के संदर्भ में धरोहर उपनियमों की रचना हेतु। For Preparation of heritage by-laws in respect of protected monuments under Archaeological Survey of India.
	एम.एच.-2205 राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकता- 2205.00.105.01.02.06 चिकित्सा उपचार MH-2205 National Library, Kolkata 2205.00.105.01.02.06 - Medical Treatment		0.16	0.14	इसके कर्मचारियों के चिकित्सा व्ययों को पूरा करने हेतु। For meeting medical expenses for its employees.
	एम.एच.-2205 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् 2205.00.107.10.00.35 पूँजी परिसम्पत्तियों के अनुदान सर्जन हेतु				उच्च अंत उपकरणों की सरकारी खरीद तथा क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोलकाता के ताराघर के प्रमुख नवीनीकरण पर आए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		MH-2205 National Council of Science Museum 2205.00.107.10.00.35 - Grants for creation of Capital Assests -	12.76	5.39	To meet the additional expenditure on procurement of high end equipments and major renovation of planetarium at Regional Science Centers, Kolkata.
		एम.एच.-2252 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 2252.00.437.01.00.31 - सामान्य सहायता - अनुदान MH-2252 National Archives of India 2252.00.437.01.00.31 - Grants-in-aid General	0.20	0.05	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना। For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.
		एम.एच.-2252 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2252.00.439.01.01.27 लघु कार्य MH-2252 Archeology Survey of India 2252.00.439.01.01.27 - Minor Works	2.50	0.95	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना। For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.
		एम.एच.-2252 राष्ट्रीय विज्ञान समारक परिषद् 2252.00.440.07.00.31 सामान्य सहायता - अनुदान MH-2252 National Council of Science Museum 2252.00.440.07.00.31 - Grants-in-aid General	2.00	0.50	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना। For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.
		एम.एच.-2252 भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण 2252.00.441.01.00.13 - कार्यलय व्यय MH-2252 Anthropology Survey of India 2205.00.441.01.00.13 - Office Expenses	0.50	0.50	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना। For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.
		एम.एच.-3601 स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म वर्षगांठ 3601.03.201.06.00.31 - सामान्य सहायता अनुदान MH-3601 150th Birth Anniversary of Swami Vivekanand 3601.03.201.06.00.31 - Grants-in-aid General	0.00	1.00	स्वामी विवेकानंद की वर्षगांठ के लिए राज्य सरकार को निधि उपलब्ध कराना। To provide funds to State Government for the Anniversary of Swami Vivekananda.
		एम.एच.-3601 भारतीय राष्ट्रीय लेखागार 3601.03.201.02.00.31- सामान्य सहायता - अनुदान MH-3601 National Archives of India 3601.03.201.02.00.31 - Grants-in-aid General	0.40	1.18	"हस्तलिपि/दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना के अर्न्तगत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet the additional expenditure under the scheme "Financial Assistance for Preservation of Manuscripts/ Rare Books."

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
4.	भारी उद्योग विभाग	एम.एच.2852.08.600.20.00.31 एचएसएल के कर्मचारियों को पेंशन देयताओं का भुगतान			एचएसएल के पेंशन-भोगियों की पेंशन देयताओं के वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के व्यय के संदाय को पूरा करना।
		एम.एच.2852.80.008.22.00.31 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड			अधिकारक परिसमापक के लिए वेतन और प्रशासन व्यय
		एम.एच.2852.80.003.01.07.31 मोटर और सहायक उद्योग विकास परिषद को भुगतान			"एआरएआई-में गढ़ाई उद्योग पुणे" स्थापित करने के लिए" उसकी मौजूदा शोध और विकास परियोजना अर्थात् जीपीएस आधारित इंटेलिजेंट स्पीड अडैप्टेशन सिस्टम के विनियामक पहलुओं तथा कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों का मूल्यांकन करने हेतु संदाय के लिए।"
					"उसके मौजूदा शोध और विकास परियोजना अर्थात् मोटरो में अग्रदीप की क्षति घटाने और सामने की दृश्यता बढ़ाने के तरीकों पर अन्वेषण हेतु संदाय के लिए।"
					"उसके मौजूदा शोध और अनुसंधान परियोजना अर्थात् मोटर अनुप्रयोग के लिए अटर्किंसन साइकिल इंजिन की बनावट और विकास हेतु संदाय के लिए।"
		एम.एच.6858.03.190.14.00.55 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को ऋण			स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों और सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
		एम.एच.6858.60.190.19.00.55 एचएमटी लिमिटेड को ऋण			एचएमटी लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों और सांविधिक देय राशियों के संदाय तथा उनको वीआरएस देने के कार्यान्वयन हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
		एम.एच.6858.60.190.09.00.55 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को ऋण			हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों और सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
		एम.एच.6858.60.190.25.00.55 तुंगभद्रा स्टील प्रौडोक्ट लिमिटेड को ऋण			तुंगभद्रा स्टील प्रौडोक्ट लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय तथा उनको वीआरएस देने के कार्यान्वयन हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
		एम.एच.6858.60.190.24.00.55 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड को ऋण			त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
		एम.एच.6858.60.190.21.00.55			बीबीयूएनएल के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		एम.एच.6860.05.190.01.00.55 एनईपीए लिमिटेड को ऋण			नेपा लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
		एम.एच.6860.05.190.02.00.55 हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड को ऋण			हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
Department of Heavy Industry		M.H. 2852.08.600.20.00.31 Payment of Pension Liabilities to the Employees of HSL	1.00	2.12	To meet the expenditure payment of Pension Liabilities of pensioners of HSL for the year 2009-10 and 2010-11.
		M.H. 2852.80.008.22.00.31 National Industrial Development Corp. Ltd.	0.00	0.07	Salary for the official liquidator and administrative expenses.
		M.H.2852.80.003.01.07.31 Payment to Development Council for Automobile & Allied Industries	0.00	4.76	“For setting In ARAI-Forging industries, Pune”. “For Payment to their existing R&D project viz. To evaluate the regulatory aspects and implementation constrains of the GPS based intelligent Speed Adaptation (ISA) system”. “For payment to their existing R&D project viz. Investigation on methods of reducing head light Glare and enhance forward visibility in Automotives”. “For Payment to their existing R&D project viz. Design & Development of Atkinson Cycle Engine for Automotive Application”.
		M.H.6858.03.190.14.00.55 Loans to Scooters India Ltd.	0.00	8.08	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of Scooters India Ltd.
		M.H.6858.60.190.19.00.55 Loans to HMT Ltd.	0.00	145.69	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of HMT Ltd.
		M.H.6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Cables Ltd.	0.00	95.38	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of Hindustan cables Ltd.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		M.H. 6858.60.190.25.00.55 Loans to Tungabhadra Steel Product Ltd.	0.00	2.49	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Tungabhadra Steel Product Ltd.
		M.H. 6858.60.190.24.00.55 Loans to Triveni Structurals Ltd.	0.00	3.15	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Triveni Structurals Ltd.
		M.H. 6858.60.190.21.00.55 Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	0.00	0.31	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of BBUNL.
		M.H. 6860.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.50	27.96	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Nepa Ltd.
		M.H.6860.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd.	0.50	8.81	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Hindustan Paper Corporation Ltd.
5.	खान मंत्रालय	I. भारत का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राजस्व विभाग			
		क. निर्देशन एवं प्रशासन प्रशासनिक सहायता			पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की व्यवस्था करना
		ख. प्रशिक्षण			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की व्यवस्था करना
		ग. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला अनुसंधान			-- तदैव --
		घ. जांच भू-तकनीकी, सिस्मिक, पर्यावरण			-- तदैव --
		ङ. सर्वेक्षण एवं मानचित्रण जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण			-- तदैव --
		च. खनिज अन्वेषण सस्ते खनिज			-- तदैव --
		छ. अन्य व्यय विभिन्न प्रचालनों पर विविध प्रमुख व्यय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी			-- तदैव --
		कुल राजस्व			
	Ministry of Mines	I. Geological Survey of India Revenue Section			
		A. Direction & Administration			
		Administrative Support	12.00	12.00	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		B. Training	0.15	0.15	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		C. Research & Development			To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		Laboratory Research	0.40	0.40	
		D. Investigation			
		Geo-tech, Seismic, Environment	0.30	0.30	-- do --
		E. Survey & Mapping			
		Ground, Aerial & Marine Survey	0.50	0.50	-- do --
		F. Mineral Exploration			
		Economic Minerals	0.45	0.45	-- do --
		G. Other Expenditure			
		Miscellaneous Major Expenditure on different operations	0.65	0.65	-- do --
		Information & Technology	0.65	0.65	-- do --
		Total Revenue	15.10	15.10	
		पूँजी अनुभाग-जीएसआई			
		अन्य व्यय			-- तदैव --
		पूँजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण			
		कुल पूँजी अनुभाग - जीएसआई			
		Capital Section - GSI			
		Other Expenditure			
		Acquisition of Capital Assets	3.00	3.00	-- do --
		Total Capital Section - GSI	3.00	3.00	
		II. भारतीय खान ब्यूरो			
		राजस्व अनुभाग			
		क. स्थापना			-- तदैव --
		ख. प्रशिक्षण			-- तदैव --
		ग. सूचना एवं प्रौद्योगिकी			-- तदैव --
		कुल राजस्व			
		II. Indian Bureau of Mines			
		Revenue Section			
		A. Establishment	1.45	1.45	-- do --
		B. Training	0.10	0.10	-- do --
		C. Information & Technology	0.10	0.10	-- do --
		Total Revenue	1.65	1.65	
		पूँजी अनुभाग			
		अन्य व्यय			
		पूँजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण			-- तदैव --
		कुल पूँजी अनुभाग -आईबीएम			
		Capital Section			
		Other Expenditure			
		Acquisition of Capital Assets	0.55	0.55	-- do --
		Total Capital Section - IBM	0.55	0.55	

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6	
6.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2810 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 00.101 - ग्रिड इंटरैक्टिव एण्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्युएबल पावर 01-ग्रिड इंटरैक्टिव रेन्युएबल पावर 02 - जल विद्युत 33 - सब्सिडी				(i) सब्सिडी को जारी करने के लिए व्यय की व्यवस्था करना ताकि निजी तथा राज्य सरकार की लघु जल विद्युत परियोजनाएं वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान पूरी हो सके। (ii) विगत में लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा मंजूर परियोजनाओं द्वारा मंजूर परियोजनाओं की देयताओं के परिसमापन हेतु।
	Ministry of New and Renewable Energy	2810- New and Renewable Energy 00.101-Grid Interactive and distributed renewable power 01 - Grid interactive renewable power 02 Hydro Power 33 - Subsidy	69.00	3.50	(i) To meet expenses for release of subsidy to mature Private & State Govt. Small Hydro Power Projects during financial year 2011-12. (ii) To liquidize liabilities for the projects sanctioned by Small Hydro Power Projects during the past.	
		2810 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 00.101 - ग्रिड इंटरैक्टिव एण्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्युएबल पावर 02-आफ-ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटेड एण्ड डिसेन्ट्रलाइज्ड रेन्युएबल पावर 04- सौर ऊर्जा 33 - सब्सिडी			पूँजीगत (कैपिटल) सब्सिडी की पूर्तिपूर्ति हेतु निधि जारी करने हेतु।	
		2810- New and Renewable Energy 00.101-Grid Interactive and distributed renewable power 02- Off-grid/ distributed and decentralized renewable Power 04 - Solar Power 33 - Subsidy	40.00	2.50	For release of fund for reimbursement of capital subsidy.	

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2012-13 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूलबजट के 25% से अधिक अथवा 5 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded 25% of Original Budget or Rs.5 crore, whichever is more during 2012-13.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2012-2013 Budget Estimates 2012-2013	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान 04-केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान (उप प्रमुख शीर्ष) 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (लघु शीर्ष) 09-अनुसूचित जाति का कल्याण-शिक्षा (उप शीर्ष) 01-मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना 09.01.31-सामान्य सहायता अनुदान			विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए
	Ministry of Social Justice and Empowerment	3602-Grants-in-aid to UT Govts. 04.Grants for Centrally Sponsored Plan Scheme (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor Head) 09-Welfare of Scheduled Castes-Education (Sub Head) 01-Post Matric Scholarship Scheme 09.01.31-Grants-in-aid General	1.00	3.00	For providing Grants-in-aid to various UT Administrations.
		3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 04-केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान (उप प्रमुख शीर्ष) 377-पिछड़ा वर्ग का कल्याण-शिक्षा (लघु शीर्ष) 03-मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति (उप शीर्ष) 03.00.31 सामान्य-सहायता अनुदान	560.00	14.70	For releasing Grants-in-aid to State Governments located in NE Region & Sikkim.
		3601-Grants-in-aid to State Governments 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Scheme (Sub Major Head) 377-Welfare of Backward Classes-Education (Minor Head) 03-Post Matric Scholarship (Sub Head) 03.00.31-Grants-in-aid General			